an yat Babeli P.S. Reni A

R.S @RAJASTHAN.GOV

राजस्थान सरकार

जांच दल . ...कारी, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी

ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान जयपुर

(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel.2227725)

क्रमांकः एफ 61(147) /जांच / 2021–22 / 5199 जयपुर, दिनांक 4/1/2022

श्रीमान आयुक्त,
ई.जी.एस.,
शासन सचिवालय,
जयपुर।

विषय :– अलवर जिले की ग्राम पंचायत बबेली पं. सं. रैणी की वर्ष 2015–16 से 2020–21 तक के नरेगान्तर्गत एवं अन्य योजना अन्तर्गत कराए गए निर्माण कार्यों की प्राप्त शिकायत की जांच प्रतिवेदन के क्रम में।

संदर्भ :– आयुक्त (ई.जी.एस.) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अ.शा.टीप क्रमांक एफ–51(1)ग्रा.वि. / नरेगा / शिका0 / अलवर / 2020–21 / 1851 दिनांक 27.08.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की पालना निदेशक,सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 61 (57) SSAAT / SA / 2019–20 / अलवर / 3339–40 दिनांक 09.09.2021 द्वारा प्रकरण की जांच हेतु गठित जांच दल द्वारा दिनांक 13.09.2021 से 17.09.2021 तक ग्राम पंचायत मुख्यालय बबेली पं.स. रेणी, जिला– अलवर की प्राप्त शिकायत की जांच रिपोर्ट तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

उक्त जांच प्रतिवेदन श्रीमान शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग, द्वारा मूल पत्रावली के पैरा 42 दिनांक 08.12.2021 द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है।

संलग्न :– 1.जांच प्रतिवेदन पृष्ठ सं. 1 से 1118

(परिशिष्ठ सं. 1 से 56 सहित)

पत्रावली 23·32 GL

लेखाधिकारी
सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं
पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान
जयपुर, दिनांक 4/1/2022

क्रमांकः एफ 61(147) /जांच / 2021–22 15200-04

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव,ग्राविवि सह अध्यक्ष कार्यकारी समिति(EC)SSAAT राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त,ईजीएस ।
3. निजी सचिव निदेशक, SSAAT जयपुर।
4. लेखाधिकारी सा.अ. / प्रशासन SSAAT जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

04·1·22

(लेखाधिकारी)
SSAAT

jagdish ji letter

Ao / Ac
7/12/2

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी

(Email : DIR.SOCIAL AUDIT @ RAJASTHAN.GOV.IN,TEL-2227725)

क्रमांक–एफ.61(147) SSAAT / 2019–20 / जांच / अलवर / 55 | जयपुर, दिनांकः 6/12/2021

श्रीमान् निदेशक
सामाजिक लेखा परीक्षा,
जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी,
राज. जयपुर।

विषयः—ग्राम पंचायत बबेली पंचायत समिति रैणी जिला, अलवर में वर्ष 2015–16 से 2020–21 तक कराये गऐं महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य योजनाओं के निर्माण कार्यो की विशेष जांच हेतु माननीय श्री जोहरी लाल मीणा, विधायक लक्ष्मणगढ, राजगढ, जिला अलवर एवं ग्रामवासीगण ग्राम बबेली से प्राप्त शिकायत की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत।

संदर्भः—आयुक्त, ई0जी0एस0 अर्द्धशासकीय टीप क्रमांक एफ. 51(1) ग्रावि / नरेगा / शिका / अलवर / 2020–2021 / 1851 / दिनांक 27.08.2021 एवं आपके आदेश क्रमांक एफ. 61(57) SSAAT / SA / 2019–20 / अलवर / 3339–49 दिनांक 09.09.2021

AO (Adm)
7/12/2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र दिनांक 27.08.2021 एवं 09.09.2021 के द्वारा ग्राम पंचायत बबेली पंचायत समिति रैणी जिला, अलवर में मनरेगा एवं अन्य योजना अन्तर्गत कराये गये कार्यो के लिय माननीय श्री जौहरी लाल मीणा, विधायक लक्ष्मणगढ, राजगढ, जिला अलवर एवं ग्रामवासीगण ग्राम पंचायत बबेली द्वारा की गई शिकायत की जांच अद्योहस्ताक्षरकर्ता, श्री जगदीश प्रसाद शर्मा सहा, लेखाधिकारी (प्रथम) एवं श्री रमेश चन्द महावर सहा, अभियन्ता पं.स. लवाण, जिला दौसा द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 13.09.2021 से 17.09.2021 तक मौके पर जाकर की गई।

जांच दल ने उक्त शिकायत की जांच हेतु आवश्यक जांच रिकार्ड जांच दल एवं तकनीकी जांच प्रतिवेदन हेतु माप पुस्तिकाओं, एस्टीमेंट, कार्यो पर व्यय (श्रम, सामग्री मद) राशि एवं तकनीकी प्रपत्र–4 की पूर्ति कर सहायक अभियंता जांच दल सदस्य को अन्तिम जांच कार्य दिवस दिनांक 17.09.2021 तक उपलब्ध नही करवाया गया। पं0स0 रैणी द्वारा दिनांक 20.11.2021 को तकनीकी जांच प्रतिवेदन हेतु सहायक अभियंता को आवश्यक रिपोर्ट उपलब्ध करवाया गया। तत्पश्चात सहायक अभियंता ने तकनीकी जांच प्रतिवेदन तैयार कर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराई गयी।

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम पंचायत बबेली पं.स. रैणी, जिला अलवर की प्राप्त शिकायत की जांच रिपोर्ट तैयार कर श्रीमान् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नः—जांच प्रतिवेदन पृष्ठ सं.(1 से ...118)
(परिशिष्ठ सं0 1 से 56 तक सहित)

भवदीय,
6/12/2021
(मोहन लाल कुमावत)
लेखाधिकारी,SSAAT
जयपुर

कमांक—एफ.61(147) SSAAT / 2019—20 / जांच / अलवर / 56-64 जयपुर, दिनांकः 06/12/21.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महोदया ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त ईजीएस, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग।
4. श्रीमान् जिला कार्यक्रम समन्वयक, अलवर।
5. निजी सचिव, (SSAAT) जयपुर।
6. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर।
7. विकास अधिकारी, पं0सं0 रैणी, जिला अलवर।
8. लेखाधिकारी (प्रशासन) SSAAT जयपुर।
9. सरपंच / ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बबेली, पचायंत समिति रैणी, जिला अलवर।

6/12/2021
लेखाधिकारी
SSAAT
जयपुर

MY COMPUTER/D/shakti/mohan lal Ji LETTER-2021-22

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम पंचायत बबेली पंचायत समिति रैणी जिला अलवर में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत एवं अन्य योजना के संबंध में विधायक एवं ग्राम वासियों से प्राप्त शिकायत की विस्तृत/विशेष जांच का जांच प्रतिवेदन

(जांच अवधि दिनांक 13.09.2021 से 17.09.2021)

प्रस्तावना :–

आयुक्त ईजीएस ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर के अर्द्धशासकीय टीम क्रमांक एफ.51(1)ग्रवि/नरेगा/शिका/अलवर) 2020–2021/1851/ दिनांक 27.08.2021 तथा श्रीमान् शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग राज. जयपुर द्वारा दिनांक 08.09.2021 को विशेष जॉच अंकेक्षण कार्यक्रम अनुमोदन पश्चात् निदेशक, सामाजिक सेवा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी राज. जयपुर के आदेश क्रमांक एफ. 61(57) एसएसएएटी/एसए/2019–20/अलवर/3339–49 दिनंक 09.09.21 द्वारा प्रकरण की जांच हेतु निम्नानुसार जॉच दल का गठन किया गया।

1. श्री मोहन लाल कुमावत लेखाधिकारी सामाजिक अंकेक्षण।
2. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा सहायक लेखाधिकारी सामाजिक अंकेक्षण।
3. श्री रमेश महावर सहायक अभियंता पंचायत समिति लवांण जिला दौसा।

जॉच दल ने ग्राम पंचायत बबेली द्वारा वर्ष 2015–16 से 2020–21 तक अवधि में महात्मा गांधी नरेगा व अन्य योजना में कराये गये कार्यों की विशेष/ विस्तृत जॉच हेतु दिनांक 13.09.2021 से 17.09.2021 तक मौके पर पहुंच कर भौतिक सत्यापन तथा रिकार्ड की जॉच की गई। जॉच दल के साथ श्री अशोक कुमार शर्मा सहायक अभियन्ता, पं. स. रैणी, श्री मोनू कुमार क. तकनीकी सहायक, श्री प्रहलाद मीना क. तकनीकी सहायक, पं. स. रैणी, श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा तत्कालीन अवधि में कार्यरत, श्री सदानन्नद उपाध्याय, वर्तमान में कार्यरत कमल लौधीं ग्राम विकास अधिकारी, श्री जगराम रोजगार सहायक एवं शिकायतकर्ता ग्रामवासीगण भी उपस्थित रहे।

Scanned with OKEN Scanner

1.

राजस्व ग्राम का नाम	कुल जनसंख्या	कुल परिवार संख्या	कुल जॉब कार्ड	एक्टिव जॉब कार्ड संख्या	निरस्त जॉब संख्या
दबेली इशवाना, मकरोडा	6659	2720	2720	1333	1089

2. महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं अन्य योजना अन्तर्गत वर्ष 2015–16 से 2020–21 तक स्वीकृत निर्माण कार्यो का वर्षवार विवरण :–

वर्ष	सीसी रोड़	सोक पीट	एनीकट खुदाई/ जोहड़ खुर्द	ग्रेवल सड़क निर्माण 1 माल निर्णय	आँगनबाड़ी	व्यक्ति लाभ योजनान्तर्गत कार्य	कुल संख्या
2015–16	2	–	3	1	–	4	10
2016–17	–	–	7	10	4	21	42
2017–18	–	–	4	5	–	28	37
2018–19	–	–	–	–	–	1	1
2019–20	–	4	4	4	–	–	12
2020–21	–	–	4	–	–	–	4
कुल योग	2	4	22	20	4	54	106

Scanned with OKEN Scanner

वर्ष 2019-20 में एनीकट खुदाई कार्य ग्राम ईश्वाना एवं वर्ष 2020-21 में कार्यकारी एजेंसी - वन विभाग

3.महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक कराये गये कार्यो पर वर्षवार व्यय विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाखों में)

वर्ष	प्राप्त राशि	व्यय राशि
2015-16	83.52	66.39
2016-17	156.71	133.89
2017-18	106.58	91.42
2018-19	0.79	0.12
2019-20	74.53	54.29
2020-21	55.10	42.79
कुल योग	477.23	388.90

4. पंचायत समिति रैणी, जिला अलवर एवं ग्राम पंचायत बबेली में वर्ष 2015-16 से 2021-22 (दिनांक 17.09.2021) तक कार्यरत अधिकारीगण, कार्मिकों, जनसेवक के विवरण की सूची-

सूची संलग्न है। परिशिष्ट संख्या (1)

Scanned with OKEN Scanner

जॉच प्रतिवेदन

भाग–1

अनुच्छेद संख्याः–(1)माननीय विधायक लक्ष्मणगढ राजगढ (अलवर) एवं ग्राम पंचायत बबेली के ग्रामवासीगण से प्राप्त शिकायत का जांच प्रतिवेदन

ग्राम पंचायत बबेली, पंचायत समिति रैणी, जिला अलवर द्वारा वर्ष 2015–16 से 2019–20 एवं 2020–21 तक महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य योजना में कराये गये निर्माण कार्यो के संबंध में ग्रामवासियों एवं विधायक महोदय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त, आयुक्त नरेगा एवं जिला कलक्टर, अलवर को शिकायते की गई। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नप्रकार से हैः–

1. श्री जोहरी लाल मीना विधायक महोदय राजगढ़ अलवर द्वारा प्रेषित श्रीमान् अति. मुख्य सचिव वित्त विभाग राजस्थान सरकार जयपुर। (परिशिष्ठ सं 02)
2. ग्रामवासी द्वारा दिनांक 03.08.2021 सम्बोधित माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर (परिशिष्ठ सं. 3)
3. ग्रामवासी द्वारा दिनांक 24.08.2021 को प्रेषित आयुक्त महोदय मनरेगा, राजस्थान सरकार, जयपुर। (परिशिष्ठ सं. 4)
4. ग्रामवासी द्वारा दिनांक NIL को प्रेषित जिला कलक्टर, अलवर (परिशिष्ठ सं.5)

Scanned with OKEN Scanner

1. **विधायक राजगढ़ अलवर द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, (वित्त) को संबोधित शिकायत पत्र दिनांक 21.10.2020 में अंकित बिन्दुओं का संक्षिप्त विवरण निम्नप्रकार है**:-ग्राम पंचायत बबेली में बिना कार्य किए भुगतान प्राप्त करना, घटिया सामग्री का उपयोग करना, राजकीय राशि का दुरूपयोग, गबन एवं व्यक्तिगत लाभ को बढावा देना, फर्जी बिलों के माध्यम से सम्पूर्ण भुगतान उठाया लिया गया। कार्य की गुणवत्ता, कार्य स्वीकृत स्थान पर न होकर अन्य स्थान पर करवाना। पेयजल हेतु टंकी निर्माण निर्धारित मापदण्ड व स्वीकृत स्थान पर नहीं कराया जाना नही।
2. **माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित शिकायत पत्र दिनांक 03.08.2021 में अंकित बिन्दुओं का विवरण**:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो मे लाखों रूपयें का भुगतान बैंक खातों में बिना कार्य के प्राप्त हो रहा है। कार्य स्थल पर कार्य होने से पूर्व तथा होने के पश्चात् का फोटो नही लिया जाना। मनरेगा योजना का कार्य स्थल पर बोर्ड भी नहीं लगाया जाता है। ग्राम पंचायत बबेली के सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, तकनीकी व अन्य अधिकारियों द्वारा मिलीभगत व जालसाजी कर बिना भौतिक अवसंरचना का निर्माण किए राजकीय धनराशि का भुगतान प्राप्त कर गबन किया गया। जिला परिषद अलवर के आदेश क्रमांक 101-03 दिनांक 06.01.2021 द्वारा गठित कमेटी के द्वारा कोई जांच नहीं की गई।
3. **ग्रामवासीगण ईशवाना द्वारा दिनांक NIL को जिला कलक्टर अलवर को प्रस्तुत शिकायत प्रपत्र में अंकित बिन्दुओं का संक्षिप्त विवरण निम्नप्रकार है**:-मनरेगा योजनान्तर्गत ग्राम ईशवाना में एनीकट जोहड़ खुदाई व अन्य कार्यो में लाखों रूपयें का भुगतान लोगों के खाते में बिना कार्य किए प्राप्त है। सरपंच एवं उसके लोगों द्वारा श्रमिकों के बैंक खाते में जमा राशि की मांग की जा रही है और राशि नहीं देने की धमकी दी जा रही है। बबेली के सरपंच गब्बर सिंह व अन्य

अधिकारियों द्वारा मिलीभगत कर राजकीय धनराशि का व्यय दिखा कर गबन किया गया। शिकायत में वित्तीय अनियमितता एवं गबन करने वालो के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का बिन्दु अंकित है।

4. <u>ग्रामवासीगण ईशवाना आयुक्त (ईजीएस) को संबोधित शिकायती पत्र दिनांक 24.08.2021</u>–निर्माण कार्य, तकमीना माप पुस्तिका अनुसार जांच रिपोर्ट जिला परिषद अलवर द्वारा नहीं की गई एवं किसी प्रकार की कुंजी, दस्तावेज संलग्न नहीं है। माप पुस्तिका की तकनीकी स्वीकृति के अनुसार भौतिक जांच नही की गई है।

शिकायत संख्या–(1) के संबंध में संक्षिप्त जांच प्रतिवेदन– जांच दल ने ग्राम पंचायत बबेली मुख्यालय पर पंहुच कर महात्मा गांधी नरेगा योजना व अन्य योजना में स्वीकृत निर्माण कार्यों का मौका निरीक्षण, माप, मूल्यांकन, भौतिक सत्यापन किया गया। जांच दल ने महात्मा गांधी नरेगा व अन्य योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 से 2020–21 तक स्वीकृत कार्यो में से कुल 33 निर्माण कार्यो का भौतिक सत्यापन किया गया। ग्राम पंचायत बबेली में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में स्वीकृत निर्माण कार्य भैरू बाबा के डूंगरी के नीचे ग्राम बबेली का जांच दल को उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज (ग्रामवासियों के बयान, मौके पर ली गई फोटो जियो टैगिंग एवं पंचायत समिति रैणी, द्वारा उपलब्ध करायी गयी जियो टैगिंग फोटो) के आधार पर उक्त जोहड खुदाई का कार्य मौके पर नहीं पाया गया। उक्त जोहड खुदाई कार्य पर कुल व्यय 11,88,940 रू. प्रथम दृष्टतया से अनियमित भुगतान किया गया। विस्तृत विवरण जांच प्रतिवेदन के अनुच्छेद संख्या (1) एवं परि० सं० (06) में अंकित किया गया।

जांच दल द्वारा ग्राम मकरोडा में ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये कार्यो का भौतिक सत्यापन करते समय ग्राम मकरोडा के ग्रामवासीगण ने जांच दल के समक्ष उपस्थित होकर लिखित में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर बताया कि श्यालीं वाला एनीकट मकरोडा में जोहड खुदाई कार्य व अन्य किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हुआ है। उक्त एनीकट खुदाई व अन्य निर्माण कार्य ग्राम मकरोडा की कार्यकारी एजेन्सी वन विभाग है। जांच दल ने उक्त कार्यो की मौके पर जीयो टैगिंग फोटो ली गई एवं प०स० रैणी में उपलब्ध जीयो टैगिंग से मिलान करने पर पाया कि Longitude/Latitude 76.75/2721 के अनुसार जोहड खुदाई कार्य श्याली वाला मकरोडा उसी स्थान पर स्थित है, जहां ग्रामवासियों द्वारा जांच दल को बताया गया। जांच दल द्वारा मौका निरीक्षण अनुसार कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का कोई कार्य नही किया गया। उक्त निर्माण कार्य पर कुल राशि 4,40,148/– रू. का प्रथम दृष्टतया से अनियमित भुगतान किया गया। विस्तृत विवरण जांच प्रतिवेदन के अनुच्छेद सं 01 परि० सं० (7)पर अंकित किया गया।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यो के समस्त कार्यो पर सूचना पट्/कार्यस्थल पर बोर्ड लगे हुए नही है। कुछ कार्यो के दीवारों पर सूचना पट् लिखे गये है। जांच दल द्वारा मौका निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन के किये गये कार्यो में से कुल 8 निर्माण कार्य (ग्रेवल सडक) पर बोर्ड लगे हुए नही पाये जिस का विस्तृत विवरण जांच प्रतिवेदन के अनुच्छेद सं. (03) पर अंकित है। जांच दल को अन्य योजनान्तर्गत स्वीकृत, पेयजल टंकियों के निर्माण कार्यो का मौका निरीक्षण, भौतिक सत्यापन हेतु माप पुस्तिका, वार्षिक कार्य योजना व अन्य रिकार्ड उपलब्ध नही कराया गया। जिसके कारण जांच किया जाना संभव नही हो सका। जांच दल को रिकार्ड उपलब्ध कराने हेतु समय–समय पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति रैणी, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बबेली को मीमो, पत्र दिये गये।

जिसकी प्रतिलिपि मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अलवर को प्रेषित की गई। जांच दल के अन्तिम कार्य दिवस तक भी जांच दल को रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। जांच दल ने रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी जयपुर को अवगत कराया गया। इसके पश्चात् निदेशक SSAAT द्वारा रिकार्ड उपलब्ध कराने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अलवर को पत्र क्रमांक–3572-81 दिनांक 4.10.2021 द्वारा लिखा गया। इसके बावजूद भी जांच दल को आवश्यक संपूर्ण रिकार्ड उपलब्ध नही कराया गया। जाचं दल ने आवश्यक रिकार्ड उपलब्ध कराने हेतु पुनः निदेशक, SSAAT को अवगत कराया गया। रिकार्ड उपलब्ध कराने हेतु श्रीमान शासन सचिव, ग्रावि.विभाग, सचिवालय, जयपुर ने पत्र क्रमांक 3730 दिनांक 25.10.21 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अलवर एवं प्रतिलिपि विकास अधिकारी पंचायत समिति रैणी, सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बबेली को प्रेषित की गई। इसके उपरान्त भी आज दिनांक 29.11.2021 तक संपूर्ण आवश्यक रिकार्ड उपलब्ध नही कराया गया। जिसका विस्तृत विवरण जांच प्रतिवेदन के अनुच्छेद सं0 18 पर अंकित है।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत बबेली का वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 को तथा वर्ष 2015–16 से 2020–21 अन्य योजना, वार्षिक कार्य योजना जांच दल को उपलब्ध नहीं करवाई गयी। वार्षिक कार्य योजना उपलब्ध करवाने हेतु जांच दल द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति रैणी एवं सरपंच/ ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बबेली को मीमो नम्बर–1 दिनांक 13.09.2021 एवं मीमो संख्या 46 दिनांक 27.09.2021 एवं पत्रांक 3730 दिनांक 25.10.2021 को पत्र दिये गये परन्तु कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। वर्ष 2018–19 से 20.20.21 की अवधि में वार्षिक कार्य योजना में अंकित निर्माण कार्य की ही प्रशासनिक / वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई।

वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक अवधि में जो निर्माण कार्यो की प्रशासनिक/ वित्तीय स्वीकृतियां वार्षिक कार्य योजना के अनुसार उनका मिलान नहीं किया जा सका। अन्य योजना का उक्त अवधि की वार्षिक कार्य योजना प्रस्तावित स्थान का नक्शा उपलब्ध नहीं करवाया गया। जिसके अभाव में प्रशासनिक / वित्तीय स्वीकृतियों का मिलान नहीं किया जा सका। जिसके अभाव में पेयजल टंकिया एवं अन्य कार्यो का प्रस्तावित स्वीकृति स्थान पर टंकियों का निर्माण अन्यत्र स्थान पर किये जाने के संबंध में तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट तैयार किया जाना संभव नही हो सका।

महात्मा गांधी नरेगा व अन्य योजनान्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यो की कार्य प्रारम्भ से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् निर्माण कार्यो की फोटो, gio-tagging आदि रिकार्ड, सूचनाऐं जांच दल को उपलब्ध नहीं करवाई। जांच दल प्रभारी द्वारा मीमो नम्बर 40 दिनांक 20.09.2021 को विकास अधिकारी पंचायत समिति रैणी को दिया गया। जिसके अभाव में पूर्व में किये गये या नहीं किये गये कार्य के संबंध में तथ्यात्मक टिप्पणी किया जाना संभव नहीं है।

शिकायत संख्या–2 जांच रिपोर्ट संक्षिप्त विवरण–(अ) –

जांच दल ने अवधि 2015–16 से 2020–21 तक ग्राम पंचायत बबेली द्वारा महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य योजनान्तर्गत कराये गये कार्यो का ग्राम मकरोड़ा बबेली एवं ईशवाना में भौतिक सत्यापन एवं रिकार्ड की जांच की गई। भौतिक सत्यापन करने पर पाया कि जोहड़ खुदाई कार्यो के कार्य स्थल पर सूचना बोर्ड नहीं पाये गये। कुछ (तालाबो) में जोहड़ो में वर्षा का पानी भरा हुआ पाया गया। जोहड़ खुदाई कार्य पर श्रमिक कार्यरत नहीं थे, कार्य बंद था। कच्चे कार्य में पूर्व वर्षो में कितना कार्य हुआ तथा मौके पर जोहड खुदाई कार्य में चौकडी (बेरो पिट) नहीं होने पर माप व मूल्यांकन कार्य नही किया जाना संभव नहीं हो सका। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य पर कार्यरत एवं समाप्ति का फोटो एंव अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये गये। जिन निर्माण कार्यो का कार्यस्थल पर बोर्ड नही लगवाये गये है। उनका विस्तृत विवरण जांच प्रतिवेदन के अनुच्छेद सं0 (ङ) पर अंकित है।

जिला परिषद अलवर के आदेश क्रमांक 101–03/दिनांक 06.01.2021 द्वारा गठित कमेटी के द्वारा कोई जांच नहीं की जाने के सबंध मे जांच दल को उक्त आदेश की प्रति, जाचं प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध नहीं करवाई गई। जांच दल ने मौका निरीक्षण मौका सत्यापन के दौरान ग्रामवासियों के बयान एवं उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर

निर्माण कार्य, जोहड खुदाई कार्य बबेली एवं जोहड खुदाई/ एनीकट श्याली वाला ग्राम मकरोडा पर में मौके पर नही पाया गया। दोनों निर्माण कार्य/जोहड खुदाई निर्माण कार्य भैरू बाबा की डूंगरी के नीचे ग्राम बबेली में व्यय कुल राशि 11,88,940/-रू. एवं जोहड खुदाई कार्य श्याली वाला एनीकट ग्राम मकरोडा पर 4,90,148/-रू. का (कुल राशि रूपये 1679088/-) का अनियमित भुगतान किया गया। जिसका विस्तृत विवरण अनुच्छेद सं0...3...... परि0 सं0....11....... पर उपलब्ध है।

<u>शिकायत संख्या-3-ग्रामवासीगण द्वारा जिला कलक्टर, अलवर को प्रेषित शिकायत का संक्षिप्त जांच प्रतिवेदन</u>

ग्राम ईश्वाना में मौके पर पंहुच कर जांच दल ने महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यो जोहड खुदाई (एनीकट) खुदाई कार्यो में चौकडी (बेरो पिट) उपलब्ध नही थे, जिसके अभाव में मिट्‌टी की मात्रा का आंकलन किया जाना संभव नही हो सका। मौके पर ली गई फोटो व कार्यवार विवरण जांच प्रतिवेदन के अनुच्छेद सं0..5.. परि0..15 से 55.. पर अंकित है।

<u>शिकायत संख्या-4-ग्रामवासीगण द्वारा आयुक्त, ईजीएस को की गई शिकायत का संक्षिप्त जांच प्रतिवेदन</u>

जांच दल ने ग्राम पंचायत बबेली के मुख्यालय पर पहुंच कर निर्माण कार्यो का मौका निरीक्षण, माप व मूल्यांकन कार्य किया गया। कार्यो की माप पुस्तिका में दर्ज आईटमवार मात्रा का विवरण, दर मूल्यांकन राशि के विवरण का मौके पर किये गये सत्यापन,माप, मूल्यांकन राशि का मिलान किया जाकर तुलनात्मक विवरण अंकित किया जाकर अन्तर आने पर वसूली राशि अंकित की गई है। प्रत्येक निर्माण कार्यवार तकमीना Estimate, layout तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति माप पुस्तिका की प्रति, मकरोड की प्रति, उपलब्ध करा दी गई जियो टैगिंग यू.सी./सी.सी की प्रति, कार्य प्रारम्भ से ली गई राशि फोटो, एनिकट मजदूरी की फोटो, कार्य समाप्ति की फोटो पत्रावली तैयार की जाकर अनुच्छेद सं0...5...... परि0सं0.15से55तक पर संलग्न की गई है।

Scanned with OKEN Scanner

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कराये गए निर्माण कार्यो का भौतिक सत्यापन

अनुच्छेद संख्या (2)

(अ) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में स्वीकृत निर्माण कार्य जोहड़ खुदाई निर्माण कार्य भैरू बाबा के डूंगरी के नीचे ग्राम बबेली का जांच दल को मौके पर निर्माण कार्य नहीं पाये जाने पर किये गये व्यय का प्रथम दृष्टया से अनियमित भुगतान राशि 11,88,940 रुपये।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जोहड़ खुदाई निर्माण कार्य भैरू बाबा के डूंगरी के नीचे ग्राम बबेली की प्रशासकीय /वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 2706011344/डब्ल्यू.सी./112908312403/ दिनांक 26.02.20, कार्य कोड नं0 2706011344/WC/1129083/2403

तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 2706011344/डब्ल्यू.सी./112908312403/ दिनांक 04.12.2019 श्रम राशि 11.57931 सामग्री राशि 2.49652 कुल राशि 14,07,583/– तथा मानव दिवस 5818.75 सहायक अभियंता श्रीमती सुनिता अरोड़ा, सहायक अभियंता द्वारा जारी की गई।

उक्त कार्य का माप एवं मूल्यांकन विवरण निम्न प्रकारा से है:–

मूल्यांकन एम.बी. नम्बर पेज नम्बर	–	26,,52,61,62,66,73
श्रम मद राशि	–	11.57930 रू.
सामग्री मद	–	2.49652
कुल योग	–	11,88,940

(परि. सं. ...6....) संलग्न

उक्त जोहड़ खुदाई कार्य भैरू बाबा के डूंगरी के नीचे ग्राम बबेली का जॉच दल के द्वारा दिनांक 15.09.2021 का मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करने वास्ते पहुंचा, जाचं दल के साथ श्री मोनू कुमार क. तकनीकी सहायक, श्री नरेश कुमार ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्रामवासीगण शिकायतकर्ता भी उपस्थित थे। भैरू बाबा डूंगरी

Scanned with OKEN Scanner

के नीचे जोहड़ खुदाई कार्य व अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण कार्य मौके पर नहीं मिला। मौके पर कार्य की फोटो भी ली गई। कार्य पर Longitude/ Latitude की फोटो ली गई। कार्य पर ली गई फोटो का मिलान पंचायत समिति रैणी में Gio Tagging फोटो से भी किया गया। इन दोनों फोटो में कोई अन्तर नहीं पाया गया।

निर्माण कार्य के स्वीकृत स्थान के मौके पर लिये कार्य के फोटो का Longitude/Latitude विवरण	एवं पंचायत समिति रैणी में उपलब्ध Geo Tagging Longitude / Latitude का विवरण
Creation Time 2-2-2021 = 76.69/27.22 Analyze Work Code = 2706011344/WC/112908312403	Creation Time 15-01-2021 76.71/27.23 Analyze WorkCode = 2706011344/WC/112908312403

मौके पर ली गई फोटो व पंचायती समिति रैणी में उपलब्ध फोटों का विवरण संलग्न है।

परि. सं......8.......) संलग्न।

मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों के बयान लिये गये, ग्रामवासियों ने बताया कि भैरू बाबा डूंगरी के नीचे जोहड़ खुदाई का कार्य कभी भी नहीं हुआ। ग्रामवासीयों से मौके पर लिये गये बयान (परि. सं. ....9............) संलग्न है।

उक्त जोहड़ खुदाई निर्माण कार्य की जगह को चिन्हित Identity करवाने हेतु जॉच दल प्रभारी द्वारा कैम्प बबेली में पत्र क्रमांक 29–32/जॉच/2021–22/ दिनांक 16.09.2021 द्वारा निम्नांकित अधिकारी, अन्य को जारी किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

1. कार्यक्रम अधिकारी/ विकास अधिकारी पंचायत समिति रैणी, जिला अलवर
2. श्रीमती अनिता अरोड़ा तत्कालीन सहायक अभियंता पंचायत समिति, रैणी
3. श्री मोनू कुमार क. तकनीकी सहायक, पंचायत समिति रैणी,
4. श्री गब्बर सिंह मीणा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बबेली
5. श्री कमल लोदी ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बबेली

Scanned with OKEN Scanner

6. श्री सुखराम मीणा, सहायक लेखाधिकारी प्रथम पंचायत समिति रैणी
7. श्री गंगालहरी मीणा, लेखा सहायक, पंचायत समिति रैणी

उक्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण को उक्त जोहड खुदाई कार्य के चिन्हितकरण के संबंध में नोटिस जारी किया गया। नोटिस की प्रति संलग्न है। इसके अतिरिक्त– पत्र क्रमांक 35/जॉच/2020–21 दिनांक 16.09.2021 द्वारा श्री सतीश कुमार, जयनारायण, विनोद कुमार मेट, एवं ग्राम पंचायत बबेली ब्लॉक संसाधन, ग्राम संसाधन व्यक्ति जिनके द्वारा सामजिक अंकेक्षण किया गया तथा समस्त श्रमिकों को भी पत्र जारी किया गया। पत्र संलग्न (परिशिष्ट सं.10...)

जॉच दल के भौतिक सत्यापन हेतु जगह चिहिन्हत नहीं होने पर खुदाई कार्य की जगह चिन्हित करवाने बाबत् नोटिस जारी करने के पश्चात् दिनांक 17.09.2021 को केवल मेंट व कुल 13 श्रमिकों ने पंचायत समिति रैणी में उपस्थित होकर बयान दर्ज करवाये गये। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, सहायक अभियंता, क. तकनीकी सहायक, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, लेखा सहायक ने जॉच दल को जगह चिन्हित करवाने वास्ते लिखित एवं मौखिक रूप से भी कोई जवाब नहीं दिया गया। जॉच दल द्वारा जगह चिन्हित करने वास्ते विकास अधिकारी पंचायत समिति रैणी एवं अधिशाषी अभियंता जिला अलवर को मौखिक रूप से मोबाईल पर भी जगह चिन्हित करने हेतु वास्ते बताया गया परन्तु कोई जवाब नहीं दिया गया।

जोहड़ खुदाई निर्माण कार्य भैरू बाबा के डूंगरी के नीचे खुदाई कार्य हेतु निम्नांकित श्रमिक व मेट के बयान जांच दल के समक्ष उपस्थित होकर दिये गये बयान में जगह चिंहत के वास्ते स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया एवं भ्रमित बयान दिये गये।

श्रमिकों ने बताया कि, तीन चार जोहड़ों, चावड़ माता मंदिर वाला जोहड खुदाई कार्य भैरू बाबा के पास जोहड़ खुदाई, सामुदयिक भवन के पास जोहड खुदाई का कार्य किया गया। किये गये कार्य भुगतान प्राप्त होना बताया गया।

मेट श्री सतीश कुमार पुत्र श्री लल्लू राम बैरवा निवासी भगत का वास ने बताया कि मैंने कुल 8 जोहड खुदाई कार्य में श्रमिकों के कार्य की निर्धारित मिट्टी खुदाई कार्य का आवंटन व श्रमिकों की उपस्थित दर्ज करने का भी कार्य किया गया। जिसमें जोहड़ खुदाई कार्य भैरू बाबा के मंदिर के पास बबेली में भी में का कार्य किया।

बयान (परि0सं...12...) संलग्न है।

श्रमिकों व मेट के लिये बयान जॉब कार्ड पंचायत व श्रमिक के नाम निम्नानुसार है।

क्र. सं.	मेट का नाम	सतीश कुमार पुत्र श्री लल्लूराम बैरवा भगत का बास	जॉब कार्ड सं. 562	लिखे गये बयान परि0सं0 पर संलग्न है।
1.	श्रमिक का नाम	गीता देवी/मुकेश बैरवा	532	
2.	–	सरोज/ चन्द्र प्रकाश	1853	
3.	–	गीता देवी/सीताराम	473	
4.	–	नीलम/निरंजन बैरवा	486	
5.	–	सन्तरा देवी/ भगवान सहाय	465	
6.	–	बसन्ती देवी/ बनवारी लाल	593	
7.	–	बंशी देवी /जयराम बैरवा	477	
8.	–	कस्तुरी देवी/ अर्जुन लाल बैरवा	487	
9.	–	सुरेश चन्द्र मीणा/हरिकिशन मीणा	1646	
10	–	शिवराम मीना/कैलाश चन्द मीना	1413	
11	–	जन्सी मीणा/प्रताप मीना	235	
12	–	महेन्द मीना/बनवारी लाल मीना	908	

Scanned with OKEN Scanner

श्रमिकों व मेट के लिये बयान परिशिष्ट सं.....12......... पर संलग्न है।

उक्त कार्य काला डूंगर के नीचे चांवडिया माता मंदिर के पास और भैरू बाबा मंदिर के पास होना बताया गया अर्थात स्वीकृत स्थान पर कार्य नहीं होकर अन्यंत्र स्थान पर कार्य होना बताया गया।

स्वीकृत स्थान पर कार्य नहीं होकर अन्यंत्र स्थान पर कार्य होने के संबंध में ग्राम पंचायत बबेली, पंचायत समिति रैणी द्वारा प्रस्ताव तैयार करके जिला परिषद अलवर को भिजवाने संबंध में अवगत नही कराया गया तथा न ही जिला परिषद अलवर द्वारा उक्त कार्य अन्यत्र होने के संबंध में पंचायत समिति से प्राप्त प्रस्ताव, वार्षिक योजना एवं अन्य अन्य प्रार्थना-पत्र के संबंध में जांच दल को कोई तथ्य उपलब्ध नही कराये गये।

उक्त तथ्यों के आधार पर जांच दल को जोहड खुदाई निर्माण कार्य भैरू बाबा की डूंगरी के नीचे ग्राम बबेली में भुगतान स्वीकृत स्थान पर कार्य नही पाये जाने पर किया गया कुल व्यय 11,88,940/-रू. प्रथम दृष्टतया अनियमित भुगतान की श्रेणी में आता है।

Scanned with OKEN Scanner

जांच निष्कर्षः

1. जांच दल द्वारा जोहड खुदाई निर्माण भैरू बाबा डूंगरी के नीचे बबेली का भौतिक सत्यापन हेतु मौके पर पहुंचे। मौके पर जोहड खुदाई कार्य नहीं था। मौके पर लिये गये फोटो के Longitude/ Altitude No. 76.69 | 27.22 का मिलान पंचायत समिति में उपलब्ध gio tagging Photo के Longitude/ altitude से किया गया। दोनों फोटो के आधार पर जोहड़ खुदाई का कार्य स्वीकृत स्थान पर, नहीं किया गया। मेट एवं श्रमिकों के बयान के आधार पर काला डूंगर के नीचे चावंडिया माता मंदिर के पास्त तीन चार जोहड़ खुदाई का कार्य किया जाना बताया गया है और भैरू बाबा के मंदिर के पास बताया गया। ग्राम वासियों द्वारा दिये गये बयान के आधार पर भैरू बाबा डूंगरी के नीचे बबेली में कोई कार्य नहीं होना बताया गया।
2. विकास अधिकारी प०स० रैणी, लेखाधिकारी प्रथम प०स० रैणी एवं लेखा सहायक प०स० रैणी पंचायत समिति के तकनीकी अधिकारी (सहायक अभियंता, क. तनीकीनी सहायक, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम बबेली ने भी उक्त कार्य स्वीकृत स्थान पर खुदाई होने के संबंध में नहीं बताया।
3. जांच दल को अन्यंत्र स्थान पर कार्य स्वीकृत एवं कार्य करने के संबंध में ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं वार्षिक कार्य योजना में अंकित, कार्य के संबंध में कोई विवरण उपलब्ध नहीं करवाया गया।
4. पंचायत समिति रैणी ने उक्त कार्य को अन्यत्र स्थान पर कार्य करने के हेतु जिला परिषद अलवर को भिजवाये गये प्रस्ताव की प्रति भी जांच दल को उपलब्ध नही करवाई गयी।

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तावित कार्रवाईः–

1. जांच दल के पास समय का अभाव होने के कारण उक्त जोहड कार्य के मस्टरोल में अंकित समस्त मजदूरों के बयान नहीं लिये गये। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर के अतिरिक्त अन्य जिला परिषद के लेखाधिकारी, अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ तकनीकी सहायकं, (अन्य पंचायत समिति) का जॉच दल गठित किया जाकर जोहड़ खुदाई भैरू बाबा डूंगरी के नीचे बबेली के मस्टरोलो में अंकित समस्त श्रमिकों बयान साथ– साथ लिया जावें तथा जोहड खुदाई कार्य चावड़िया माता मंदिर के पास दोनों जोहड़ खुदाई के मस्टरोलों में अंकित समस्त श्रमिकों का बयान लिया जावे तथा उपस्थित श्रमिकों की हाजरी जॉब कार्ड का मिलान किया जावें। कार्य की मौके की फोटो व gio tagging से मिलान किया जावें। दोनो जोहड़ खुदाई कार्य पर कार्यरत मजदूर लिये जाने के पश्चात् तथा कार्य से संबंधित अधिकारीगण/कर्मचारी के बयान लिया जाकर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज के आधार पर जोहड़ खुदाई पर किया प्रथम दृष्टतया से व्यय को अनियमितता की श्रेणी में माना जावें।

2. उक्त कार्य की स्वीकृति, कार्य प्रारम्भ करने/मस्टरोल जारी, मूल्यांकन करने तथा भुगतान करने से संबंधित अधिकारीगण, कर्मचारीगण, तथा संबंधित सहायक अभियंता श्रीमती सुनिता अरोड़ा क. तकनीकी सहायक श्री मोनू कुमार ग्राम विकास अधिकारी श्री कमल लोदी, सहायक लेखाधिकारी सुखराम मीणा, लेखा सहायक गंगा लहरी, एवं तत्कालिन सरपंच गब्बर सिंह मीणा को युक्तियुक्त सुनवाई का नियमानुसार अवसर दिया जावे तथा इनका उत्तरदायित्व निर्धारण किया जाकर समानुपात में अनियमित भुगतान राशि की 11.88940 रू. की वसूली जावें।

Scanned with OKEN Scanner

अनुच्छेद सं0 (3)

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जोहड़/ खुदाई कार्य श्याली वाला एनीकट मकरोड़ा कार्यकारी एजेंसी (वन विभाग) की जाचं ग्राम वासियों की शिकायत के आधार पर द्वारा मौके पर की गई भौतिक सत्यापन के दौरान खुदाई व अन्य निर्माण कार्य का नहीं होना जाने पर कुल राशि 440148 रू. का प्रथम दृष्टया अनियमित भुगतान।

जांच दल द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो की जांच हेतु भौतिक सत्यापन वास्ते ग्राम मकरोड़ा (ग्राम पंचायत बबेली) पहुंचे। उपस्थित ग्रामवासियों ने बताया कि जोहड़ खुदाई कार्य श्याली वाला एनीकट मकरोड़ा में खुदाई व अन्य किसी भी भी प्रकार का कार्य नहीं किया। गत दो वर्षो में कार्य नहीं हुआ। इसको हम काफी समय से देख रहे है। हमारे सामने कोई कर्मचारी/ अधिकारी नहीं आये और मजदूरों को कार्य करते हुऐ नहीं देखा। ग्रामवासी राजपूतों की ढाणी व अन्य लोगों ने इस स्थान पर कोई कार्य नहीं होने के संबंध में बयान भी दिये है। (परि सं. 11..) संलग्न है।

जॉच दल के साथ श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा ग्राम विकास अधिकारी (पूर्व) बबेली, श्री मोनू कुमार क. तकनीकी सहायक एवं ग्रामवासी भी उपस्थित रहे। मौके पर जोहड़ खुदाई कार्य श्याली वाला एनीकट ग्राम मकरोड़ा में वर्ष 2020–21 में कोई खुदाई कार्य व अन्य कार्य होना नहीं पाया गया।

जांच दल द्वारा मौके पर उक्त कार्य की फोटो भी ली गई। जांच दल द्वारा ली गई फोटो एवं पं. समिति रैणी के रिकोर्ड में उपलब्ध gio tagging से मिलान करने पर पाया कि– Logitude / Latitude- 76-73/2721 के अनुसार जोहड़ खुदाई कार्य

Scanned with OKEN Scanner

श्याली वाला एनीकट मकरोड़ा उसी स्थान पर स्थित है। (परि सं. ..7.........) संलग्न है।

जहां ग्रामवासियों ने बताया और जांच दल ने मौका देखा गया। कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया है।

जोहड़ खुदाई कार्य श्याली वाला एनीकट मकरोड़ा की स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाखों में)

कार्य कोड सं	कार्यकारी एजेंसी	स्वीकृत क्रमांक	स्वीकृत राशि		कुल योग	व्यय राशि	कार्य की स्थिति
			श्रम	व्यय			
84182/2020-21	वन विभाग	2706011344/wc/112908419598	12.42	0.25	12.67	4.40	प्रगतिरत

जांच दल ने मौके पर वन विभाग के अधिकारी से मोबाईल पर सम्पर्क कर जोहड़ खुदाई कार्य के भौतिक सत्यापन करवाने वास्ते बातचीत की गई परन्तु वन विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी मौके पर उपस्थित नहीं हुए। उक्त कार्य की कार्यकारी एजेंसी वन विभाग होने पर जांच दल ने कार्य की माप पुस्तिका का तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा मस्टरोल आदि रिकार्ड का जांच कार्य नहीं किया जा सका। अतः उक्त कार्य पर किया व्यय राशि 4.40148 रू. प्रथम दृष्टतया अनियमित भुगतान की संभावना प्रतीत हो रही है।

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम पंचायत बबेली में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 से 2020–21 तक उक्त कार्य के अतिरिक्त निम्नांकित 08 कार्यो की अन्य कार्यो की कार्यकारी की एजेन्सी वन विभाग अलवर है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वर्ष	कोड सं.	एजेंसी	जोहड़ खुदाई एवं नक्शा दिवार	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
1.	2015–16	74411	वन विभाग	ग्राम मकरोड़ा	11.51	10.86
2.	2015–16	74410	वन विभाग	एनीकट खुदाई एवं नक्शा दीवार कार्य राजपूतो की पुरानी आबादी के पास ग्राम ईशवाना	13.61	3.90
3.	2015–16	74412	वन विभाग	जोहड़ खुदाई एवं नक्शा दिवार राजीव गांधी के पास बबेली	14.07	14.06
4.	2019–20	112908320569	वन विभाग	भौमियावी के पास निकट पहाड़ पर एसीकट खुदाई कार्य ईशवाना	14.92	10.67
5.	2019–20	82815	वन विभाग	कटारा एनीकट खुदाई कार्य डूंगरपुर ईशवाना	14.99	11.20
6.	2019–20	82816	वन विभाग	गुर्जर वाली जोहड के पास खुदाई कार्य बबेली	14.97	14.63
7.	2019–20	82817	वन विभाग	चावद वाली जोहड़ के पास पहाड़ में जोहड़ खुदाई कार्य बबेली	14.97	13.92
8.	2019–20	84184	वन विभाग	जोहड़ खुदाई कार्य पहाड़ के पास भकरोडा	14.97	4.17

जांच निष्कर्ष एवं प्रस्तावित कार्यवाही :-

जोहड़ खुदाई श्याली वाला एनीकट मकरोड़ा के gio Tagging रिपोर्ट एवं मौके पर ली गई फोटो तथा ग्रामवासियों के बयान के आधार पर जोहड़ खुदाई कार्य पर किया गया व्यय राशि 4.40 लाख प्रथम दृष्टया अनियमितता की सम्भावना प्रतीत हो रही है।

कार्यकारी एजेंसी वन विभाग द्वारा ग्राम पंचायत बबेली में कराये गये सम्पूर्ण कार्यो की जांच जिला, अलवर के अतिरिक्त अन्य जिले में पदस्थापित अधिशाषी अभियंता, लो(वानिकी), सहायक अभियंता, का जांच दल गठित किया जाकर जांच रिपोर्ट, निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, आयुक्त ईजीएस एवं शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग शासन सचिवालय जयपुर को भिजवाया जावे। जोहड़ खुदाई कार्य श्याली वाला एनीकट मकरोड़ा की जांच प्रतिवेदन में अनियमितता राशि 4,40,148 रू. पाये जाने पर वन विभाग के अधिकारीगण/ कर्मचारीगण को युक्ति-युक्त सुनवाई का अवसर दिया जावे एवं उत्तरदायित्व निर्धारण किया जाकर संबंधित से वसूली की जाकर इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाई की जावे।

अनुच्छेद सं0 (4)

वर्ष 2015–16 से 2020–21 तक महात्मा गांधी व अन्य योजनान्तर्ग स्वीकृत निर्माण कार्यो का माप पुस्तिका में अंकित मूल्यांकन से अधिक भुगतान राशि 4,56,680/– रू की वसूली योग्य राशि।

जांच दल ग्राम पंचायत बबेली पंचायत समिति रैणी के मुख्यालय पर पहुंचकर मौका निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन तथा अभिलेखो की जांच की गई। निर्माण कार्यो की माप पुस्तिका एवं अभिलेखों की जांच करने पर निम्नांकित कार्यो पर ग्राम पंचायत द्वारा मूल्यांकन राशि से अधिक राशि का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	कार्य का नाम	कार्य कोड नं0	मूल्यांकन राशि	भुगतान राशि	अधिक भुगतान राशि	पैरा अनुसार राशि	अवशेष वसूली योग्य राशि	परिशिष्ठ संख्या
1	सीसी रोड निर्माण कार्य जगराम के मकान से रामेश्वर के मकान की ओर		905477	1065929	160453	—	160453	
2	जोहड जीर्णोद्धार मय वाटर रिचार्ज शॉप्ट निर्माण कार्य ग्राम बबेली		729360	1034730	3,05,370	9143	29612	
	कुल योग		465823			9143	456680	

जांच निष्कर्ष एवं प्रस्तावित कार्यवाई

पुस्तिका में अंकित मूल्यांकन राशि से नरेगा साईट की MIS रिपोर्ट अनुसार उक्त कार्यो पर अधिक राशि का भुगतान किया गया है। अतः संबंधित अधिकारीगण, सहायक अभियंता, क0 तकनीकी सहायक अभियंता, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, तथा पं0 समिति रैणी में संबंध्वित पदस्थापित अधिकारीगण को युक्ति युक्त सुनवाई का अवसर दिया जाकर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उक्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण से समानुपारित वसूली राशि 456680/– की जाकर राज्य कोष में जमा करावे।

परिशिष्ठ सं. (13) संलग्न

अनुच्छेद सं (5)

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्ग स्वीकृत कार्यो का मौके पर भौतिक सत्यापन एवं माप पुस्तिका के मूल्यांकन में अन्तर पाया जाने कारण अनियमित भुगतान राशि रू 191578/–

ग्राम पंचायत बबेली द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 से 2020–21 तक कुल 106 निर्माण कार्य स्वीकृत करवाये गये है। उक्त कार्यो में से 33 कार्यो का जांच दल ने ग्राम पंचायत बबेली के मुख्यालय पर पहुंचकर ग्राम पंचायत के राजस्व गांवो में मौके पर मौका निरीक्षण माप व मूल्यांकन का कार्य किया गया। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:–

महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य योजना अन्तर्गत वर्ष 2015–16 से 2020–21 में स्वीकृत निर्माण कार्यो का भौतिक सत्यापन किये जाने पर माप एवं मूल्यांकन राशि तथा माप पुस्तिका में माप व मूल्यांकन राशि में अन्तर पाये जाने पर अधिक भुगतान राशि 191578 रू का विवरण:–

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य का कोड नं0	माप पुस्तिका में दर्ज माप, मूल्यांकन राशि	मौके पर भौतिक सत्यापन अनुसार वास्तविक माप,मूल्यांकन राशि रूपये	अन्तर अधिक भुगतान राशि रूपये	जांच दल द्वारा कार्यस्थल पर लिये गये माप की आईटमवार रिपोर्ट फोटो माप पुस्तिका की प्रति,प्रपत्र–4 (परिशिष्ट विवरण)
1	2	3	4	5	6	7
	ग्रेवल/सीसी सडक					
1	सडक मरम्मत कार्य– रैणी रोड से बैरेर ठेकडा हरसहाय की ढाणी होते हुए ग्राम बबेली	112908 312600	924437	920224	4213	परिशिष्ट सं0 14 1 से 18 तक
2	ग्रेवल सडक निर्माण कार्य– राजपूत शमशान घाट से बिशनलाल के खेत की और ग्राम बबेली	112908 312592	624288	623275	1013	परिशिष्ट सं0 15 1 से 11 तक

Scanned with OKEN Scanner

	वल सडक निर्माण ार्य– ब्राह्मणबास से ाजपूतो के वास की ौर ग्राम बबेली	112903 12597	-	-		परिशिष्ट सं0 16 1 से 15 तक
	ग्रेवल सडक निर्माण कार्य– सालोली रोड से रामदयाल के मकान के की और बबेली।	112908 312589	906802	906802		परिशिष्ट सं0 17 1 से 15 तक
	ग्रेवल सडक निर्माण कार्य– पाडा सीमा से बैरेर ठेकडा की और ग्राम बबेली।	112908 225135	1407147	1371713	35434	परिशिष्ट सं0 18 1 से 9 तक
	ग्रेवल सडक निर्माण कार्य– भौमिया जी की स्थान से लेवडी की डूंगरी की ओर ग्राम बबेली।	112908 225130	807559	682313	125246	परिशिष्ट सं0 19 1 से 16 तक
	ग्रेवल सडक मरम्मत निर्माण कार्य– रैणी रोड से लटूर के मकान तक ग्राम बबेली।	112908 208508	440518	429827	10691	परिशिष्ट सं0 20 1 से – तक
	ग्रेवल सडक मरम्मत कार्य– गुर्जर जौहड से टहहडा सीमा तक ग्राम बबेली।	112908 189194	616565	616565	-	परिशिष्ट सं0 21 1 से 14 तक
	ग्रेवल सडक मरम्मत कार्य– रैणी रोड से बरैर ठेकडा जीएसएस तक ग्राम बबेली।	112908 186119	564162	564162	-	परिशिष्ट सं0 22 1 से 11 तक
10	सीसी रोड निर्माण कार्य– जयराम के मकान से रमेश के मकान की ओर मकरोडा	112908 169630	905477	905477	-	परिशिष्ट सं0 23 1 से 7 तक
	जोहड, एनीकट खुदाई कार्य					परिशिष्ट सं0 24 1 से 42 तक
11	जोहडा खुदाई कार्य – काला डूंगर के नीचे ग्राम बबेली	112908 312402	1280278	-	-	

	जोहडा खुदाई निर्माण कार्य – भैरू बाबा के डूंगरी के नीचे ग्राम बबेली	112908 312403	1188940	विस्तृत विवरण अनुच्छेद संख्या........... पर अंकित है।	-	परिशिष्ट सं0 06 1 से 95 तक
	जोहडा खुदाई जोरवाला ग्राम ईशवाना / मकरोड	112908 263588	899394	-	-	परिशिष्ट सं0 25 1 से 15 तक
	जोहडा खुदाई एवं पाल निर्माण कार्य –दसूक नाला के पास ईशवाना	112908 263044	1022684	-	-	परिशिष्ट सं0 26 1 से 11 तक
	जोहडा खुदाई कार्य – कदम आबादी क्षेत्र के पास ग्राम मकरोड	112908 260291	811544	-	-	परिशिष्ट सं0 27 1 से 10 तक
	जोहडा खुदाई कार्य– पुरानी भाबला का बास ग्राम ईशवाना	112908 260287	897061	-	-	परिशिष्ट सं0 28 1 से 8 तक
	कैटल शैड मेड बंदी, टांका शौचालय कार्य					
	कैटल सेट मेड बंदी कार्य– अनिता देवी पत्नि सतीश कुमार	112908 336100	119358	119358	-	परिशिष्ट सं0 29 1 से 12 तक
8	कैटल सेट मेड बंदी कार्य–रामप्रताप मीणा पिता जंगली राम मीणा	112908 327301	75022	75022	-	परिशिष्ट सं0 30 1 से 5 तक
19	कैटल सेट मेड बंदी कार्य–हरी किशन मीणा पिता कजोडमल मीणा	112908 334714	78967	78967	-	परिशिष्ट सं0 31 1 से .... तक
	द्वियांग टांका निर्माण कार्य–नरेन्द सिंह पुत्र छोटू सिंह	112908 334787	32760	32760	-	परिशिष्ट सं0 32 1 से 4 तक
21	कैटल सेट मेड बंदी कार्य–जलधारी मीणा पिता कजोडमल मीणा	112908 337190	81973	81973	.	परिशिष्ट सं0 33 1 से 11 तक
22	कैटल सेट मेड बंदी कार्य–जयनारायण बैरवा पिता कालूराम बैरवा	112908 337196	78967	78967	.	परिशिष्ट सं0 34 1 से 9 तक
23	कैटल सेट मेड बंदी कार्य– गीता देवी पत्नि मुकेश बैरवा	112908 337193	68397	68397	.	परिशिष्ट सं0 35 1 से 13 तक

	निकट खुदाई निर्माण ार्य–भोमिया जी के ीचे ग्राम ईशवाना	112908 167751	1059254	-	.	परिशिष्ट सं० 36 1 से 16 तक
	शौचालय निर्माण कार्य– हकीम सिंह पुत्र सवाईसिंह	27011 23798	11538	6000	5838	परिशिष्ट सं० 37 1 से — तक
	शौचालय निर्माण कार्य– नरपत सिंह पुत्र सतनाम सिंह	27011 23788	12000	12000	-	परिशिष्ट सं० 38 1 से — तक
	एनिकट बांध की खुदाई निर्माण कार्य दसूक ग्राम ईशवाना	112908 167778	1130438	-		परिशिष्ट सं० 39 1 से 15 तक
	गुर्जर जोहड जीर्णोद्धार मय वाटर रिचार्ज शॉप्ट निर्माण कार्य–ग्राम बबेली	112908 169242	729360	720217	9143	परिशिष्ट सं० 40 1 से 25 तक
	जोहड खुदाई निर्माण कार्य–चावण्ड वाली ग्राम बबेली	112908 167937	1033958	–		परिशिष्ट सं० 41 1 से 11 तक
	एनिकट खुदाई निर्माण कार्य–कटारा ग्राम ईशवाना	112908 167791	1368422	–		परिशिष्ट सं० 42 1 से 15 तक
	बनी आश्रम मे पास ईशवाना तालाब जीर्णोद्धार मय वाटर रिचार्ज शॉप्ट निर्माण कार्य –ग्राम ईशवाना	112908 169247	561264	561264		परिशिष्ट सं० 43 1 से 20 तक
2	एनिकट खुदाई एवं सुरक्षित दीवार कार्य – राजपूतो की पुरानी आबादी के पास ग्राम ईशवाना	112908 151387	1262922			परिशिष्ट सं० 44 1 से — तक
33	जोहड खुदाई कार्य – शालीवाला एनीकट मकरोडा	112908 419598	440148	विस्तृतविवरण अनुच्छेद संख्या............ पर अंकित है।		परिशिष्ट सं० 7) (11) 1 से — तक
	कुल योग				191578	

(अक्षरों एक लाख इक्यानवे हजार पांच सौ अठहत्तर मात्र)

उक्त कार्यो में से 09 ग्रेवल सडकों एवं एक सी.सी रोड का मौके पर माप एवं मूल्यांकन किया गया। जांच दल द्वारा भौतिक सत्यापन किये गये दिनांक 17.09.2021 तक की अवधि में ग्रेवल सडकों की निर्माण कार्य में ग्रेवल सडकों के पूर्ण होने के दिनांक के बाद मोटाई में **(Compacation)** पश्चात क्षरण की मात्रा कटौति किये जाने का प्रावधान है। अति मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के आदेश क्रमांकः एफ.40(18)ग्रावि/नरेगा/त.क.प्र.क्र./पार्ट–ाा/2010 दिनांक 10.02.2021 द्वारा ग्रेवल सडकों के पूर्ण होने की दिनांक से क्षरण की कटौति किये जाने के आदेश/परिपत्र से संदर्भ क्षरण कटौति पश्चात मौके पर माप, मूल्यांकन तथा माप पुस्तिका में दर्ज माप व मूल्यांकन राशि में पाया गया अन्तर की वसूली योग्य राशि अंकित की गई है। आदेश संलग्न है। परि0सं0 14 पे अंकित है।

1. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जोहड खुदाई, एनीकट निर्माण कार्यो में 14 कार्यो का मौके पर पहुंचकर मौका निरीक्षण, भौतिक सत्यापन किया गया। इन कार्यो में से गुर्जर जोहड जीर्णोद्वार मय वाटर रिचार्ज शॉफ्ट निर्माण कार्य ग्राम बबेली में माप पुस्तिका में दर्ज माप की मूल्यांकन राशि 729360/–रू. अंकित की गई तथा मौके पर माप मूल्यांकन राशि 720217/–रू. किये गया। मौके पर माप मूल्यांकन राशि व माप पुस्तिका में दर्ज मूल्यांकन राशि में से कुल राशि 9143 रू. का अन्तर पाया गया। जिसका परि0सं0.40 पर अंकित है। उक्त कार्य के अतिरिक्त उक्त कार्यो में से मौका निरीक्षण करने पर पाया कि जोहड खुदाई कार्य भैरू बाबा की डूंगरी के नीचे ग्राम बबेली में जोहड खुदाई कार्य तथा, जोहड खुदाई कार्य श्याली वाला एनीकट ग्राम मकरोडा का कार्य, ग्रामवासियों के बयान एवं जांच दल द्वारा ली गई जियो टैगिंग फोटो के आधार पर मौके पर स्वीकृत स्थान पर कार्य होना नही पाया गया, जिसका विस्तृत विवरण अनुच्छेद सं. (2)(3) एवं परि0सं0 (6)(11) पेज सं0 (12)(19) पर अंकित

किया गया। जोहड खुदाई उक्त कार्यो में से अवशेष कार्यो जोहड खुदाई उक्त कार्यो में से शेष कार्यो में मौका निरीक्षण अनुसार जोहड खुदाई कार्यो के कार्यस्थल पर चौकडी (बैरो पिट) नही पाये गये जिसके अभाव में खुदाई की गयी मिट्टी की मात्रा का माप किया जाना संभव नही हो सका। कार्यवार विवरण परि0सं0 १५से ५५ पर अंकित है।

2. जांच दल ने 5 कैटल शैड व भूमि सुधार संबंधी निर्माण कार्यो का भौतिक सत्यापन किया गया। मौके पर कैटल शैड पाये गये, परन्तु लाभार्थी/काश्तकार के खेतो में खडी फसल होने के कारण भूमि सुधार संबंधी कार्यो का भौतिक सत्यापन नही किया जा सका। मौके पर ली गई फोटो एवं अन्य विवरण परि0 सं0 (२१से ३५) पर अंकित है।

3. जांच दल ने एक द्विव्यांग लाभार्थी का टांका निर्माण कार्य नरेन्द्र सिंह/छोटू सिंह का भौतिक सत्यापन किया गया। लाभार्थी द्वारा केवल टांका निर्माण कार्य ही करवाया गया । जिस पर कुल राशि 32760/– रू. का माप पुस्तिका में दर्ज राशि एवं मौके पर माप व मूल्यांकन राशि 32760/–रू पाया गया, अर्थात अन्तर राशि नही पायी गयी। विवरण परि0सं0 32 पर अंकित है।

4. उक्त कार्यो के अतिरिक्त शौचालय निर्माण कार्यो हकीम/सवाई सिंह का जांच दल ने मौका निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन करने पर पाया गया कि मौके पर कार्य अपूर्ण है। मौके पर तीन साईड दीवार है, छत कार्य नही है। गेट, प्लास्टर कार्य नही करवाया गया। माप पुस्तिका अनुसार राशि 12000रू. का मूल्यांकन किया तथा 11538/रू. का व्यय कर भुगतान किया गया। मौके पर माप व मूल्यांकन राशि 6000/–रू. की जाने पर अन्तर राशि 5838/–रू. वसूली योग्य है। जिसके लिए तत्कालिन सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, एवं क0 तकनीकी सहायक उत्तरदायी है।

Scanned with OKEN Scanner

5. शौचालय निर्माण कार्य नरपत सिंह/सतनाम सिंह निर्माण कार्य पूर्ण पाया गया, जिस पर कुल राशि 12000/–रू का भुगतान किया गया तथा मौके भौतिक सत्यापन अनुसार 12000/–रू. का मूल्यांकन पाया गया।
6. वर्ष 2019–20, 2020–21 में स्वीकृत ग्रेवल सडक निर्माण कार्यो पर रबिश सामग्री ग्रेवल के साथ–साथ मोटे–मोटे पत्थर डाले गये है, रोड रोलर नही चलाया गया। जिसके कारण ग्रेवल सडके आम जनता, पशु एवं वाहनों के चलने के उपयोगी नही है।

जांच निष्कर्ष एवं प्रस्तावित कार्यवाई

1. जांच दल द्वारा ग्राम पंचायत बबेली में करवाये गये कार्यो का भौतिक सत्यापन कर विस्तृत जांच की गई मौके पर उपलब्ध कार्य के माप एवं माप पुस्तिका में दर्ज माप में अन्तर पाया गया। जिसके लिये तत्कालिन सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, सहायक अभियंता, कनिष्ठ तकनीकी सहायक उत्तरदायी है।
2. कार्यस्थल के मौके पर भौतिक सत्यापन के दौरान वास्तविक माप से अधिक माप, माप पुस्तिका में दर्ज करने के कारण अन्तर राशि 191578 ...6... है।
3. उक्त कार्यो के निर्माण कार्यो में माप पुस्तिका में अधिक माप दर्ज कर एवं अधिक मूल्यांकन दर्शाकर अनियमित भुगतान करने के लिए संबंधित (तत्कालीन) सहायक अभियंता, क0 तकनीकी सहायक, तत्कालीन सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी को युक्ति युक्त सुनवाई का अवसर दिया जाकर इनका उत्तरादायित्व निर्धारित करते हुए इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाई किया जाना उचित होगा।

Scanned with OKEN Scanner

अनुच्छेद सं0 (6)

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 से 2020–21 की अवधि में स्वीकृत कार्यो की जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग अलवर में प्रक्रियाधीन होने पर जांच दल द्वारा निर्माण कार्यो का भौतिक सत्यापन का अभाव।

ग्राम पंचायत बबेली में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 2015–16 से 2020–21 की अवधि में स्वीकृत कार्यो की जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग अलवर में लम्बित प्रक्रियाधीन है। जिसके कारण जांच दल ने निर्माण कार्यो का मौके पर भौतिक सत्यापन एवं रिकोर्ड भी जांच नहीं की जा सकी। मनरेगा योजना के निम्नलिखित निर्माण कार्यो की जांच प्रक्रियाधीन है:–

वर्ष	कार्य कोड सं.	निर्माण कार्यो का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
2016–17	—	ग्रेवल सड़क मरम्मत निर्माण कार्य यूजीएस ईशवाना से भगत का वास ग्राम बबेली	5.44 लाख	4.81 लाख
2016–17	—	ग्रेवल सड़क मरम्मत निर्माण कार्य सासोली रोड़ से खेड़ली डूंगरी होते हुऐ जलाल की दुकान तक ग्राम ईशवाना	6.08 लाख	5.57 लाख
2016–17	—	ग्रेवल सड़क मरम्मत निर्माण कार्य सासोली रोड़ से रूपनारायन के बास होती हुई पुरानी आबादी बनी दरवाजा तक	8.64 लाख	7.64 लाख
2016–17	—	ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य सासोली से ग्रहगण होते हुए राजपूत की आबी की और ग्राम ईशवाना	4.34 लाख	4.11 लाख
2016–17	—	बनी मन्दिर एनीकट जीर्णोद्वार कार्य ग्राम ईशवाना	1.86 लाख	1.82 लाख

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग अलवर में अन्य योजनान्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यो की जांच लम्बित होने पर जांच दल द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका।

Scanned with OKEN Scanner

अनुच्छेद सं. (7)

तत्कालिक ग्राम विकास अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा ने विभागीय कार्यो की पूर्व में तथा कार्य पश्चात् ली गई रोड की फोटो उपलब्ध करवाई गयी जिसका कार्यवार विवरण निम्नप्रकार है:-

क्र.सं.	कार्य का नाम
1	गेवल सडक सालोनीरोड से बाहमण वास होते हुए राजपूतों की आबादी
2	जोहड खुदाई चांवड वाली ग्राम बबेली
3	ग्रेवल सडक सालोनीरोड से रूपनारायण वास होती हुई बणी दरवाजा
4	एनीकट खुदाई कार्य दसूक ग्राम ईशवाना
5	जोहड खुदाई कार्य कदम आबादी के पास मकरोडा
6	एनीकट खुदाई कार्य भौमिया के नीचे ईशवना
7	जोहड खुदाई कार्य जोराधाला ग्राम ईशवाना
8	गुर्जर जोहड खुदाई एवं वाटर रिचार्ज ग्राम ईशवान
9	भौमियां जीं नीचे एनींकट खुदाई कार्य ईशवाना
10	जोहड खुदाई कार्य पाटलीनवाल ईशवाना
11	ग्रेवल सडक भौमियां जीं का स्थान से लेवडी डूंगरी की ओर ग्राम बबेली
12	जोहड खुदाई एवं सुरक्षा दीवार ग्राम मकरोडा
13	ग्रेवल सडक निर्माण कार्य दसूक से यावलावास पुरानी आबादी की ओर ईशवाना
14	एनीकट खुदाई कार्य कंटारा ग्राम ईशवाना
15	ग्रेवल सडक गुर्जर जोहड खुदाई से टेहटडा सीमा तक

परिशिष्ट सं. 45 (1 से 15 तक)

अनुच्छेद सं. (8)

महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं अन्य योजना में स्वीकृत निर्माण कार्यो सीसी रोड़ ग्रेवल सड़क, आंगनबाड़ी पेयजल टंकी, व्यक्तिगत लाभ योजना में स्वीकृत समस्त कार्यो के सूचना पट्ट /कार्यस्थल पर बोर्ड लगाने का अभाव ।

कुछ कार्यो के दीवारों पर सूचना पट्ट लिखे गये है।एनीकट/ जोहड़ खुदाई कार्यो पर कोई भी कार्यस्थल बोर्ड लगा हुआ नहीं पाया गया है एवं इसी प्रकार अन्य योजनाओं में स्वीकृत कार्यो की सूचनाऐं/बोर्ड कार्यस्थल पर नहीं पाये गयें जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	कार्य कोर्ड सं.	निर्माण कार्यो का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
2016-17	-	ग्रेवल सड़क मरम्मत कार्य सालोनी रोड से कुही आश्रम तक ग्राम ईशवाना	5.72 लाख	4.89 लाख
2017-18	-	ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य दसूल जोहड़ से भावल वान पुरानी आबादी की और ग्राम ईशवाना	14.88 लाख	14.18 लाख
2017-18	-	ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य भूड़िया वास से उपस्वास्थ्य केन्द्र होता हुआ राधाकिशन के बास की और	1.16 लाख	1.07 लाख
2016-17	-	ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य यूजीएस कोठी ग्राम ईशवाना की और ग्राम ईशवाना	1.92 लाख	1.65 लाख
2016-17	-	ग्रेवल सड़क मरम्मत निर्माण कार्य रैणी रोड़ से पाडा सीमा तक ग्राम बबेली	4.49 लाख	4.33 लाख
2017-18	-	ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य जगराम के मकान से झरना की और ग्राम मकरोड़ा	9.39 लाख	8.97 लाख
2015-16	-	ग्रेवल सड़क निर्माण मरम्त कार्य रैणी रोड़ से काला कुआ ग्राम मकरोड़ा।	7.01 लाख	7.15 लाख
2016-17	-	ग्रेवल सड़क मरम्मत निर्माण कार्य रैणी रोड से लटूर के मकान तक ग्राम बबेली	4.89 लाख	3.57 लाख

गत जांच प्रतिवेदन

भाग–2

अनुच्छेद सं (9)

ग्राम पंचायत बबेली द्वारा वर्ष 2015–16 से 2020–21 अवधि में मनरेगा योजना में करवाये गये निर्माण कार्यो की जिला स्तर, उपखण्ड स्तर एवं पंचायत समिति स्तर पर करायी जॉचों में पायी गयी अनियमितताओं की वसूली योग्य राशि 2557021 में से अवशेष राशि 2188174 रू. की वसूली किये जाने का अभाव।

महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य योजनान्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यो (अवधि 2015–16 से 2020–21) की जॉच जिला स्तर, उपखण्ड एवं पंचायत समिति पर की गई। संलग्न जॉच रिपोर्ट अनुसार कुल वसूली योग्य 2557021 राशि में से 368847/–राशि वसूली की गई है। शेष राशि 2188174 रू. की वसूली अभी तक नहीं की गई है। अवशेष राशि का विवरण निम्नानुसार है:–

(अ) महात्मा गांधी योजनान्तर्गत वसूली योग्य, जमा व बकाया राशि का विवरण:–

क्र. सं.	संदर्भित पत्रों का विवरण	वसूली योग्य राशि के कार्य का नाम	वसूली योग्य	जमा राशि	बकाया राशि	विवरण
1	प.स.रैणी पत्र क्रमांक 3003–3007/25.1.21	बनी मंदिर वाला एनीकट जीर्णोदार ईश्वाना	68804	–	68804	
2	967–68/1.3.2017	सीसी रोड निर्माण जयराम के मकान से रमेश के मकान की ओर मकरोड़ा	160455	1,60,455	Nil	जमा रसीद सं. 336/ 8.3.19
3	967–68/1.3.2017	ग्रेवल सड़क रैणी रोड से कालाकुआं मकरोड़ा	165448	99,268	66180 श्री अजीत सहरिया BDO राजेन्द्र मीणा JTA रू. 33,090	जमा रसीद सं. 32/ 13.02.20 53/24.2.20 50/6.1.20
4	प.स.रैणी पत्र क्रमांक 850/28-3-19 7.67-68	संलग्न सूची अनुसार 6 निर्माण कार्य	327371	109124	218247 राजेन्द्र मीणा JTA से 109124 कमलेश देवी LDC से 109124 कार्यवाहक से अभी तक वसूली नही हुई।	रसीद सं0 49/6.12.20
	कुल योग		722078	368847	353231	

(ब) अन्य योजना – गत जॉच के दौरान वसूली योग्य राशि

क्र.सं.	प.स.रैणी पत्र क्रमांक 2994-98/29-7-21	योजना का नाम	कुल वसूली योग राशि	वसूली	बकाया राशि	विशेष विवरण
1	PS 967-68/1.3.17	FFC/SS-C	1834943	Nil	1834943	माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। वसूली पर रोक है।

निष्कर्ष एवं प्रस्तावित कार्यवाई:–

1. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत बकाया वसूली राशि 353,231 रू. की कार्यवाही शीघ्र की जावे।
2. अन्य योजनान्तर्गत बकाया वसूली का प्रमाण का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। 1834943 रू. की वसूली पर रोक है। प्रकरण की वर्तमान स्थिति से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को अवगत करावें।

Scanned with OKEN Scanner

भाग–3

अन्य अनियमितताएं–

अनुच्छेद सं0 (10)

ग्राम पंचायत बबेली में वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में महात्मा गांधी नरेगा व अन्य योजनान्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यो हेतु निविदा आमंत्रित किये बिना ही निर्माण सामग्री का क्रय करने पर बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक दरों से क्रय नहीं कर राज्यकोष को राशि का नुकसान पहुंचाना।

महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं अन्य योजनान्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यो हेतु निर्माण सामग्री क्रय में वर्ष 2016–17, 2017–18 में ग्राम पंचायत बबेली द्वारा निविदा प्रकिया नहीं अपनाई गयी। ग्राम पंचायत द्वारा (राज.लोक.उपापन . पारदर्शिता अधिनिमय 2012 एवं नियम 2013) के नियमों का खुला उल्लघंन किया गया। निविदा प्रक्रिया नहीं अपनायी जाकर बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक दरों से निर्माण सामग्री का कय नहीं किया जाकर राज्यकोष को नुकसान पहुचाया गया। उक्त अवधि में लगातार एक ही फर्म मैसर्स सुरेश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी– बिच गांव, लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर से क्रय किया गया है, जो वित्तीय नियमों का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है। ग्राम पंचायत के रिकोर्ड की जॉच करने पर पाया गया कि वर्ष 2015–16 से 2021–22 तक अवधि में निर्माण सामग्री सप्लाई एक ही फर्म मैसर्स सुरेश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी से क्रय की गई।

वर्ष 2016–17 से 2017–18 तक मैसर्स सुरेश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी से कुल 39.75 लाख रू. की निर्माण सामग्री क्रय की गई। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	सामग्री मद का विवरण	2016–17 में क्रय सामग्री (राशि लाखों में)	2017–18 में क्रय सामग्री (राशि लाखों में)
1.	सीमेंट	4.45	2.15
2.	बजरी	1.50	1.01
3.	पत्थर चुनाई	0.69	0.63
4.	ईट	1.39	–
5.	रोडी 20 एम.एम.	0.78	0.78
6.	रोडी 40 एम.एम.	0.58	0.20
7.	सीमेंट ईटे	4.52	–
8.	ग्रेवल मोरम	15.96	–
9.	लोहा सरिया	2.25	0.98
10.	फर्मा, मिक्चर किराया	0.33	–
11.	टोटी बाल्व	0.30	0.26
12.	क्रेशर डस्ट	0.26	–
13.	पटाव पटरी	–	0.52
14.	पानी किराया	0.21	–
	कुल योग	**33.22**	**6.53**

ग्राम पंचायत के रिकार्ड की जॉच करने पर पाया गया कि वर्ष 2015–16 से 2020–21 तक अवधि में एक ही फर्म द्वारा निर्माण सामग्री सप्लाई की गई।

वर्तमान में सरपंच ग्राम पंचायत बबेली ने जॉच दल को दिनांक 17.09.2021 को एक पत्र प्रस्तुत कर बताया कि फर्म सुरेश कन्स्ट्रक्शन क. लक्ष्मणगढ़ निविदा दाता फर्म तत्कालिन सरपंच श्री गब्बर सिंह मीणा के रिश्तेदार की है। पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक प.(14) संविदा/विधि/ प.14/2012/2013/ दिनांक 21.09.2012 द्वारा प्रतिस्थापित नियम 181 के दिशा निर्देशानुसार फर्म/ एजेन्सी/ निविदाता का कोई रिश्तेदार, कार्य से संबंधित ग्राम पंचायत में किसी भी जगह पर पदस्थापित हो तो

Scanned with OKEN Scanner

उसके कार्य करने पर प्रतिबंध रहेगा। वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत बबेली ने लिखित में पत्र देकर निविदा वर्ष 2021–22 को निरस्त कर एवं पुनः निविदा आमंत्रित करने हेतु निवेदन किया गया है। (परि. सं. 46(1.12) संलग्न है।

जांच निष्कर्ष एवं प्रस्तावित कार्यवाही–

1. वर्ष 2016–17, 2017–18 में अलग–अलग दरों से कुल राशि 39.75 लाख रू. निर्माण सामग्री का क्रय किया। टेंडर प्रक्रिया अपनाये बिना ही निर्माण सामग्री का क्रय किया जाकर गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गई है।
2. क्रय निर्माण सामग्री का विवरण एवं फर्म द्वारा प्राप्त सामग्री सप्लाईकर्ता के समस्त बिलों की प्रति वाणिज्य कर विभाग, आयकर विभाग को भिजवाये, ताकि तत्कालीन अवधि में नियमानुसार टी0डी0एस, जी0एस0टी की कटौति की जा सके।
3. वर्ष 2015–16 से 2020–21 तक लगातार 6 वर्षो में एक ही फर्म द्वारा सामग्री सप्लाई करने पर वित्तीय अनियमितता बरतने पर संदेहासपद की स्थिति में है। वर्ततमान सरपंच द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के आधार पर सामग्री सप्लायर तत्कालीन सरपंच का रिश्तेदार बताया गया है। पंचायती राज विभाग के अनुसार निविदाता का रिश्तेदार संबंधित ग्राम पंचायत में पदस्थापित कर्मचारी, अधिकारी, सरपंच होने पर उसे कार्य करने पर प्रतिबंध रहेगा।
4. उक्त प्राप्त निविदा के संबंध में पुनः उच्चस्तरीय कमेटी गठित की जाकर कार्यवाई की जावें तथा संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी का उत्तरादायित्व निर्धारण कर इनके विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाई की जावें।

अनुच्छेद सं.(11)

स्टांक रजिस्टरों के संधारण में पाई गई कमियां त्रृटियां एवं अनियमिताएं।

ग्राम पंचायत बबेली के वर्ष 2015-16 से 2020-21 के स्टांक पंजिकाओ की जॉच करने पर निम्न त्रृटियां/ कमियां एवं अनियमितताए पाई गई।

I. वर्ष 2015-16 की स्टांक पंजिका में किसी भी सामग्री मद की प्रविष्टयां नहीं की हुई थीं।

II. आगामी वर्षो की स्टांक पंजिकाओं में सामग्री प्राप्ति विवरण में फर्म के बिल संख्या, सामग्री दर आदि का उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि इसका पूर्ण विवरण का उल्लेख किया जाना चाहिए।

III. सामग्री प्राप्ति एवं निर्गमन की प्रविष्टियों पर सरपंच द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। साथ ही भण्डार लिपिक / ग्राम विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया है।

IV. वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 की भंडार पंजिकाएं संधारित नहीं की गई है। जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता है।

V. वर्ष 2016-17 में एक सामग्री मद के तीन स्टांक पंजिका संधारित की गई है।

VI. स्टांक पंजिका के इंडेक्स में वर्णित सामग्री मद के पृष्ठ संख्या से सामग्री प्राप्ति का इन्द्राज न करके हर मद के अगले पृष्ठ से प्रविष्टियॉ चालू की गई है। जो कि गंभीर अनियमितता है। इस संबंध में संबंधित ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जॉच दल को कोई उचित कारण नहीं बताया।

जांच निष्कर्ष एवं प्रस्तावित कार्यवाई-

सा. वित्तीय एवं लेखा नियमानुसार, वित्तीय नियमों का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है। अतः संबंधित ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें।

अनुच्छेद सं0 (12)

सामग्री सप्लाई ठेकेदारो को अधिक भुगतान की वसूली राशि रू. 4873

वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत बबेली के द्वारा वर्ष 2015–16 में हुए टेण्डर (फर्म) से ही बी.एस.आर. दर पर सामग्री क्रय किए जाने के संबंध में विकास अधिकारी पंचायत समिति रैंणी द्वारा पत्रांक 1659–61 दिनांक 30.09.2021 द्वारा मीमो स. 26 एवं 28 दिनांक 15.09.2021 के क्रम में सूचित किया गया है।

I. इस संबंध में स्टांक पंजिकाओं की जॉच में वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत मै. सुरेश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी बिच गांच, लक्ष्मणगढ़ से 800/–रू. प्रति घ.मी. की दर से बजरी क्रय की गई थी। उसी वित्तीय वर्ष में दिनांक 30.09.2016 को 850/–रूपयें प्रति घ.मी. की दर से बजरी क्रय किए जाने की प्रविष्टी स्टांक पंजिका में की गई है। अतः बजरी की क्रय मात्रा 57.47 घ.मी. की 50 रू. प्रति घ.मी. से फर्म को अधिक भुगतान किया गया जिसकी कुल वसूली राशि 2874 रू. संबंधित फर्म से वसूल किया जाकर राजकोष में जमा कराया जावें।

II. स्टांक पंजिका संख्या 168 में पृष्ठ सं. 36 पर ग्रेवल मोरम की क्रय मात्रा 280 घ. मी. का क्रय 259 रू. प्रति घ.मी. की दर से किया गया। जिसका कुल क्रय मूल्य 72520 रू. होती है। जबकि स्टांक पंजिका में कुल 74519 रू. की राशि प्रमाणित की गई है। अतः मै. सुरेश कन्स्ट्रक्शन क. को 1999 रू. का अधिक भुगतान किया गया है। जो वसूली योग्य है। स्टांक पंजिकाओं में फर्म द्वारा प्रेषित बिल की संख्या एवं दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया है।

जांच निष्कर्ष एवं प्रस्तावित कार्यवाही–

मैसर्स सुरेश कन्सट्रक्शन कम्पनी बिचगांव लक्ष्मणगढ को सामग्री क्रय भुगतान में अधिक भुगतान होने पर कुल राशि (1999+2873.50) =4873 रू. की वसूली की जावें तथा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरादायित्व का निर्धारण करते हुए इनके विरूद्ध विभागीय नियमानुसार कार्यवाई की जावें।

Scanned with OKEN Scanner

अनुच्छेद सं (13)

रोकड़ पुस्तिका संधारण में पाई गई कमियां/ त्रुटियां एवं अनियमितताएं।

जॉच दल द्वारा वर्ष 2015–16 से 2020–21 तक की अन्य योजनाओं से संबंधित प्राप्त राशि की रोकड पुस्तिकाओं की जांच की गई। जिसमें निम्न कमियां/ त्रुटियां एवं अनियमितताएं पाई गई।

I. रोकड पुस्तिकाओं के मुख्य पृष्ठ पर रोकड़ पुस्तिका संधारण अवधि एवं पृष्ठ संख्या से संबंधित प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया है।

II. दिनांक 01.04.2021 से 17.09.2021 जांच अवधि तक के लेन–देनों की रोकड़ पुस्तिका का संधारण नहीं किया गया है। जो कि सा0 वित्तीय एवं लेखा नियमानुसार गंभीर अनियमितता है। इस संबंध में संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

III. दिनांक 02.06.2020 से 31.03.2021 तक की रोकड़ पुस्तिका में की गई प्रविष्टियों पर ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच द्वारा प्रमाणित करने का अभाव पाया गया है। अधिकांश प्रविष्टियों पर सरपंच के हस्ताक्षर एवं मुद्रा (मोहर) अंकित नहीं पाई गई।

IV. रोकड़ पुस्तिका में फर्म को किए गए भुगतान से संबंधित विवरण का उल्लेख नहीं किया जाता है।

जांच निष्कर्ष एवं प्रस्तावित कार्यवाही–

अन्य योजनाओं के संचालन हेतु प्राप्त राशि एवं व्यय राशि का विवरण सामान्य रोकड पुस्तिका में दिनांक 01.04.2021 से 17.09.2021 तक की जांच अवधि का विवरण अंकित नहीं है। इस अवधि की रोकड पुस्तिका का संधारण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करके इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें।

Scanned with OKEN Scanner

अनुच्छेद सं0 (14)

मैसर्स सुरेश कन्सटक्शन कम्पनी से प्राप्त निर्माण सामग्री के बिलों पर दिनांक का अभाव एवं रोकड पुस्तिका में इंद्राज किये बिना ही कुल राशि 150000 का अनियमित भुगतान

ग्राम पंचायत बबेली के वर्ष 2021–22 के भुगतान बिलों की जॉच पर पाया कि मै. सुरेश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी से प्राप्त निम्न ईनवोइसो पर दिनांक अंकित नहीं थी। जिनका ग्राम पंचायत द्वारा फर्म को भुगतान किया जा चुका है। उक्त बिलों का जॉच दिनांक 17.09.2021 तक रोकड़ पुस्तिका में इन्द्राज नहीं किया गया है।

क्र. सं.	फर्म का नाम	ईनवाइस संख्या एवं दिनांक	आहरित बिल संख्या/ दिनांक	राशि
1.	मैं. सुरेश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	59/Nil	08/06.04.2021	50000/–
2.	मैं. सुरेश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	45/Nil	09/09.06.2021	50000/–
3.	मैं. सुरेश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	49/Nil	11/11.06.2021	50000/–
	कुल राशि			150000/–

उक्त बिलों का नियम विरूद्व भुगतान किया जाकर वित्तीय अनियमितता बरती गई है। सभी बिल समान राशि के फर्म से प्राप्त किया गया है। जिन पर दिनांक अंकित नहीं है। वित्तीय अनियमितता बरतने पर तत्कालीन अवधि में कार्यरत सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बबेली उत्तरादायी है।

जांच निष्कर्ष एवं प्रस्तावित कार्यवाही

1. ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई निर्माण सामग्री एवं आपूर्तिकर्ता फर्म मैसर्स सुरेश कंस्ट्रक्शन कम्पनी का पूर्ण विवरण आयकर विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग को भिजवाया जाकर टीडीएस, जीएसटी वसूली की वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिए।
2. वित्तीय अनियमितता बरतने वाले तत्कालीन सरपंच/, ग्राम विकास अधिकारी का उत्तरादायित्व का निर्धारित कर नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner

अनुच्छेद सं. (15)

एफ.वी.सी. बिलों की जॉच में पाई गई कमियां/ त्रुटियॉं।

ग्राम पंचायत बबेली के जांच अवधि के एफ.वी.सी. बिलों की जॉच करने पर निम्न त्रुटिया/ कमियॉं एवं अनियमितताए पाई गईः–

I. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमानुसार एफ.वी.सी. बिलों पर अंकित किए जाने वाले आवश्यक प्रमाण पत्रों का अभाव पाया गया। फर्म द्वारा प्राप्त बिलों पर पारित भुगतान आदेश अंकित नहीं किया जाता है।

II. एफ.वी.सी. बिलों पर सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाते एवं बिलों पर सरपंच की सील का अभाव पाया गया।

प्रस्तावित कार्यवाही–

एफ.वी.सी. बिलों की उक्त त्रुटियों/ कमियों में सुधार कर भविष्य में पुनरावृत्ति नही होने के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाकर ग्राम विकास अधिकारी को पाबंद किया जावें।

Scanned with OKEN Scanner

अनुच्छेद सं (16)

निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निर्माण सामाग्री क्रय नही करना एवं निविदा प्रक्रिया में पायी गई अनियमितता एवं कमियाँ।

I. ग्राम पंचायत बबेली में वर्ष 2015-16 में निर्माण सामग्री क्रय हेतु जारी निविदा के क्रम में प्राप्त निविदा पत्रों की जांच की गई। जांच पर पाया कि निविदा दाता फर्मो द्वारा निविदा पत्रों पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

II. प्राप्त निविदा दरों का तुलनात्मक विवरण पत्र पृथक से नहीं बनाकर निविदा पत्र पर ही बनाया गया। जिस पर क्रय समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं पाए गए।

III. स्वीकृत फर्म को दिए गए कार्यादेश को पत्रावली में संलग्न नहीं पाया गया।

IV. विकास अधिकारी पंचायत समिति रैणी, अलवर के पत्रांक 1659-61 दिनांक 30.09.2021 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अवधि में टेण्डर प्रक्रिया नहीं अपनाई गई एवं उक्त वित्तीय वर्षो में वर्ष 2015-16 में स्वीकृत फर्म से बी. एस.आर. दर पर निर्माण सामग्री क्रय की गई है। इस संबंध में ग्राम विकास अधिकारी, बबेली द्वारा पंचायत समिति के इस संबंध में जारी आदेश के बारे में पूछा गया परन्तु कोई आदेश जांच दल को उपलब्ध नहीं कराया गया।

जांच निष्कर्ष एवं प्रस्तावित कार्यवाई

निविदा प्रक्रियां में कमियां, अनियमितता बरतने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाई की जावें।

अनुच्छेद सं0 (17)

योजनान्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यो हेतु सामग्री सप्लाई राशि 300149 रू. का मूल्यांकन किये बिना ही सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म को अनियमित भुगतान।

ग्रामीणवासीगण ग्राम पंचायत बबेली ने अन्तिम कार्य दिवस दिनांक 17.09.2021 को जांच दल के समक्ष उपस्थित होकर मौके पर निर्माण कार्य नहीं करने के संबंध में शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया। शिकायत पत्र में अंकित विवरणानुसार अवगत कराया कि योजना..S.F.C.(V).. में स्वीकृत निर्माण कार्य-सी.सी.रोड [illegible] स्वीकृत राशि 5.00 लाख के मौके पर कोई कार्य नही हुआ, और भुगतान कर दिया गया। शिकायत पत्र (परि0सं...47... पर संलग्न है।) (1 से 15 तक)

जांच दल के पास दिनांक 17.09.2021 को अन्तिम कार्य दिवस था, समय अभाव के कारण निर्माण के मौके पर पहुंकर भौतिक सत्यापन नहीं किया गया तथा, ग्राम पंचायत बबेली के पंचायत मुख्यालय में उपलब्ध रिकार्ड की जांच की गई तथा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित श्री कमल लोदी, ग्राम विकास अधिकारी, बबेली से निर्माण कार्य के मूल्यांकन एवं भुगतान की रिपोर्ट प्राप्त की। ग्राम विकास बबेली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार दिनांक 17.09.2021 (जांच कार्य अन्तिम दिवस) तक उक्त निर्माण कार्य का मूल्यांकन नहीं किया गया तथा भुगतान कर दिया गया। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बबेली ने मूल्यांकन के बिना ही सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म को कुल राशि 300149 रू. का अनियमित भुगतान कर दिया गया।

अनियमित भुगतान की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	एफ0बी0सी0 बिल संख्या	दिनांक	फर्म का नाम	सामग्री का विवरण	दर	भुगतान राशि
1	35	15.03.21	मैसर्स सुरेश कंस्ट्रक्शन कम्पनी	सीमेन्ट, बजरी, रोड़ी	बिल अनुसार	300149

ग्राम विकास अधिकारी बबेली से माप पुस्तिका में इंद्राज किये बिना एवं मूल्यांकन नहीं किये जाने की प्राप्त रिपोर्ट एवं अनियमित भुगतान राशि 300149 का विवरण परि0सं. 678 (1...15) पर अंकित है।

जांच निष्कर्ष एवं प्रस्तावित कार्यवाई:—

तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 के अनुसार एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुसार सामग्री सप्लाई मात्रा एवं मूल्यांकन राशि का माप पुस्तिका इंद्राज किये जाने के पश्चात हीं भुगतान किया जा सकता है अन्यथा मूल्यांकन किये बिना ही भुगतान किये जाने पर वित्तीय अनियमितता बरती जाने पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानी जाती है।

अत: तत्कालिन संरपंच, ग्राम विकास अधिकारी को व्यक्गित सुनवाई का अवसर दिया जाकर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें।

जांच निष्कर्ष एवं प्रस्तावित कार्यवाही

1. निर्माण कार्य हेतु सामग्री मात्रा का मूल्यांकन एवं माप पुस्तिका के दर्ज किये बिना ही अनियमित भुगतान करने पर तत्कालीन श्री गबर सिंह मीणा तत्कालीन सरपंच, एवं श्री कमल लोदी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बबेली व्यक्तिगत रूप से उत्तरादायी है।
2. उक्त निर्माण कार्य हेतु सामग्री मात्रा राशि 300149 को अनियमित भुगतान करने पर पर्यवेक्षणीय लापरवाही हेतु तत्कालीन विकास अधिकारी पं0स0 रैणी,

Scanned with OKEN Scanner

श्री सुखराम मीणा सहायक लेखाधिकारी प्रथम, श्री गंगालहरी मीणा लेखा सहायक, प0सं0 रैणी भी उत्तरादायी है।

3. उक्त राशि 3,00,149/- का अनियमित भुगतान करने पर इनको सुनवाई का अवसर दिया जाकर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए, उक्त सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी सहायक लेखाधिकारी प्रथम, लेखा सहायक, एवं विकास अधिकारी के विकास विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना उचित होगा। ताकि भविष्य में अनियमित भुगतान की कार्यवाही की पुरावृत्ति नहीं की जा सके।

Scanned with OKEN Scanner

अनुच्छेद संख्या (18)

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्ग वर्ष 2015–16 से वर्ष 2020–2021 तक स्वीकृत निर्माण कार्य एवं अन्य योजना संबंधित रिकार्ड उपलब्ध कराने का अभाव–

आयुक्त ईजीएस, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान, जयपुर के अर्द्धशासकीय टीप क्रमांक एफ. 51(1)ग्रा. वि/नरेगा/शिकायत/अलवर/ 2020–21 /1851 दिनांक 27.08.2021 एवं निदेशक SSAAT जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 61(57) SSAAT/SA/2019-20/ अलवर/3339–49/दिनांक 09.09.2021 के ग्राम पंचायत बबेली पं0सं0 रैणी जिला, अलवर की महानरेगा एवं अन्य योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 से 2020–21 तक अवधि में स्वीकृत निर्माण कार्यो के संबंध में स्थानीय विधायक एवं ग्रामवासी गण से शिकायत प्राप्त हुई।

जांच दल का गठन किया गया। जांच दल ने दिनांक 13.09.2021 से 17.09.2021 तक ग्राम पंचायत बबेली/मुख्यालय पर पहुंचकर निर्माण कार्यो का भौतिक सत्यापन एवं अभिलेख की जांच की जांच दल ने पं0सं0 रैणी पहुंच कर ग्राम पंचायत बबेली की जांच हेतु रिकार्ड उपलब्ध कराने वास्ते सर्वप्रथम मीमो सं0 01 दिनांक 13.09.2021 किया गया (परिशिष्ठ– 1) संलग्न

विकास अधिकारी प0सं0 रैणी, ग्राम पंचायत बबेली द्वारा मीमो सं0 01 दिनांक 13.09.2021 के अनुसार जांच दल को संपूर्ण रिकार्ड उपलब्ध नही कराने पर दिनांक 14.09.2021 से17.09.2021 (जांच दल के अन्तिम कार्य दिवस) तक जांच दल निम्नांकित मीमो/पत्र संबंधित अधिकारी, कर्मचारीगण को दिये गये जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	मीमो/नोटिस जिस का अधिकारी/कर्मचारी को जारी किया गया	प्रतिलिपि प्रेषित अधिकारी का नाम	क्रमांक	दिनांक	परिशिष्ठ संख्या
1	श्री कमल लोदी/श्री सदानन्द उपाध्याय ग्राम विकास अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर विकास अधिकारी पं०सं० रैणी	16–18	14.09.21	
2	श्री कमल लोदी, ग्राम विकास अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर विकास अधिकारी पं०सं० रैणी	19–22	15.09.21	
3	श्री कमल लोदी ग्राम विकास अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर विकास अधिकारी पं०सं० रैणी	23–25	15.09.21	
4	कार्यक्रम अधिकारी/ विकास अधिकारी पं०सं० रैणी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर	28–31	15.09.21	
5	कार्यक्रम अधिकारी/ विकास अधिकारी पं०सं० रैणी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अलवर	26–27	15.09.21	
6	श्री कमल लोदी/श्री सदानन्द उपाध्याय ग्राम विकास अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अलवर विकास अधिकारी पं०सं० रैणी	26	16.09.21	
7	विकास अधिकारी पं०सं० रैणी	–	37	17.09.21	
8	कार्यक्रम अधिकारी/ विकास अधिकारी पं०सं० रैणी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला अलवर	39	17.09.21	

जांच दल को अन्तिम कार्य दिवस दिनांक 17.09.2021 तक निम्नांकित रिकार्ड उपलब्ध नही करवाय गया:–

क्र.सं.	रिकार्ड का विवरण
1	जांच दल द्वारा 36 निर्माण कर भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें केवल 8 निर्माण कार्यो की कार्यवार पत्रावलियां प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृतिया, तकनीकी स्वीकृति तकमीना मजदूरी राशि सूची सामग्री व्यय वस्तु व्यय कार्य भरने से पूर्व कार्य समाप्ति के पश्चात कार्यरत अवधि फोटो जियो टैग की फोटो, माप पुस्तिका, उपयोगिता, पूर्ण स्तर प्रमाण–पत्र
2	तकनीकी प्रपत्र 4(कार्यो के एस्टीमेंट, माप पुस्तिका मे दर्ज विवरण)क0 तकनीकी सहायक के हस्ताक्षर सहित।

Scanned with OKEN Scanner

3 माप पुस्तिका सं0 17 में दर्ज कराया की प्रमाणित मूल छायाप्रति

4 150, 130 बी, एवं 130 (डी) की प्रमाणित मूल छायाप्रति

5 महात्मा गांधी नरेगा योजना वर्ष 2015–16 वे 2020–21 तक प्राप्त, व्यय समायोजन राशि का विवरण।

6 जोहद खुदाई भैरव बाबा डूंगरी के नीचे खुदाई कार्य के जगह चिन्हित के संबंध में अवगत करने हेतु मीमो संख्या 29/ दिनांक 16.09.21 के प्रत्युत्तर का अभाव

7 महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत वर्ष 2015–16 से 2020–21 तक निर्माण कार्यो एवं योजनाओं के बकाया रिकार्ड आठ (8) निर्माण कार्यो को छोडकर शेष कार्यो की कार्यवार पत्रावलियां (TS,AS,FS, Estimates wages List)के वाउचर्स, कार्य शुरू करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद की फोटो जियो टैग, माप पुस्तिका, UG,UC

8 कार्यक्रम अधिकारी (विकास अधिकारी) प0स0 रेणी को पत्र क्रमांक एफ.46 दिनांक 24.09.2021 का पुनः बकाया रिकार्ड एवं सूचनाओं को सोसायटी मुख्यालय पर भिजवाने हेतु स्मरण मीमो जारी किया गया। सूचना अप्राप्त रही।

9 निदेशक, SSAAT जयपुर के पत्रांक 3572 दिनांक 04.10.2021 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर को मीमो सं0 40 दिनांक 20.09.2021 एवं मीमो सं0 46 दिनांक 24.09.2021 के क्रम में बकाया रिकार्ड अविलम्ब भिजवाने हेतु स्मरण–पत्र जारी किया गया परन्तु रिकार्ड एवं सूचना अधूरी प्राप्त हुई। (पत्र संलग्न पृष्ठ सं0 609 से 612 तक)

10 श्रीमान शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राज. जयपुर के पत्रांक 3730 दिनांक 25.10.2021 के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर को पुनः वर्ष 2015–16 से 2020–21 तक की महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य योजना की वार्षिक कार्य योजना टेण्डर पत्रावलियां, माप पुस्तिका सं0 150, (130 बी), (130 डी) जोहड खुदाई भेरू बाबा की डूंगरी के संबंध में जगह चिन्हित करने के संबंध में प्रत्युत्तर एवं नरेगा अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो के भौतिक सत्यापन के निर्धारित प्रपत्र–4 के क्रम में स्मरण–पत्र जारी किया गया। (पत्र संलग्न पृष्ठ संख्या- 614, 615)

जांच दल को दिनांक 03.12.2021 तक उक्त रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। जिसके कारण अन्य योजनाओ तथा नरेगा योजना के कार्यो पर टिप्पणी किया जाना संभव नही हो सका।

Scanned with OKEN Scanner

9)

य योजनान्तर्गत स्वीकृत निम्नांकित पेयजल टंकियां निर्माण कार्यो का भौतिक सत्यापन गया:–

क्र.सं	कार्य का नाम	ग्राम स्थान मकरोडा
1	पेयजल टंकी निर्माण कार्य	मैन रोड के पास ग्राम मकरोडा
2	पेयजल टंकी निर्माण कार्य	हरी मीणा के पास मकरोडा
3	पेयजल टंकी निर्माण कार्य	देतकरण मीणा के पास ईश्वाना

उक्त टंकियां निर्माण कार्यो से संबंधित जांच दल को निम्नांकित रिकार्ड उपलब्ध नही करवाया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

1. माप पुस्तिका
2. नजरी नक्शा
3. खसरा नं0 जमाबंदी

जांच निष्कर्ष : –

भौतिक सत्यापन के संबंध में एवं शिकायत में अंकित बिन्दुओं की तथ्यात्मक रिपोर्ट किया जाना संभव नही हो सका।

Scanned with OKEN Scanner

अनुच्छेद संख्या (20)

महात्मा गांधी नरेगा, अन्य योजनाओं में स्वीकृत कार्यो के मूल्यांकन जांच, उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी

राज्य सरकार द्वारा जारी तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 एवं समय–समय पर संशोधित नवीनतम प्रपत्र–निर्देशानुसार महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत करवाये जाने वाले कार्यो के उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी करने एवं मूल्यांकन जांच के लिए मानदण्ड लेखापरीक्षा अवधि में इस प्रकार है।

क्र.सं.	अधिकारी	मूल्यांकन राशि की सीमा	उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी करने की सीमा
1	क0 तकनीकी सहायक पं0स0	....	....
2	क0 अभियंता नरेगा	5.00 लाख	5.00 लाख
3	सहायक अभियंता नरेगा	15 लाख	15 लाख
4	अधिशाषी अभियंता नरेगा	50 लाख	50 लाख

उक्त मानदण्ड अनुसार कुछ निर्माण कार्यो के सक्षम अभियंता द्वारा कार्यो निरीक्षण मूल्यांकन, तथा उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र कब तैयार किया गया तथा सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर हेतु कब प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में कोई रिकार्ड, एवं प्रपत्र लेखा परीक्षा जांच दल को उपलब्ध नही कराई गयी।

Scanned with OKEN Scanner

अनुच्छेद संख्या (21)

सक्षम अधिकारीगण द्वारा निर्माण कार्यो के निरीक्षण, मापदण्ड अनुसार नही किया जाना

प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ (32)ग्रावि/R.E/नरेगा/ग्रुप–ाा/06–07/दिनांक 22.03.2007, एवं तकनीकी मार्गदर्शिका अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत करवाये जाने वाले कार्यो के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा समय–समय पर नही किये जाने के कारण अनियमितता किये जाने का बढावा मिलता है।

03/4/21

श्री मोहन लाल कुमावत	श्री रमेश चन्द महावर	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा
(लेखाधिकारी)	(सहायक अभियंता)	सहा0 लेखाधिकारी
SSAAT Jaipur	सदस्य	SSAAT Jaipur

Scanned with OKEN Scanner